



The Delhi Excise Act, 2009

Act No. 10 of 2010

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(2)/LA-2008/lclaw/ 288

Dated 28th the July, 2010

NOTIFICATION

No.F.14(2)/LA-2008/lclaw/ 288 .--The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 1st July, 2010 and is hereby published for general information:-

**“THE DELHI EXCISE ACT, 2009
(DELHI ACT 10 OF 2010)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 14th December, 2009)

[1st July, 2010]

An Act to consolidate, amend and update the Excise Laws relating to manufacture, import, export, transport, possession, purchase, sale, etc., of liquor and other intoxicants, in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER -1

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Delhi Excise Act, 2009.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Definitions.** - In this Act, unless the context otherwise requires, -

(1) “**alcohol**” means ethyl alcohol of any strength and purity having the chemical composition C_2H_5OH ;

(2) “**alcoholic beverage or potable liquor**” means any beverage containing alcohol in conformity with the BIS standards which may be intoxicating and is fit for human consumption;

(3) “**alcoholic strength by volume (% vol.) of a mixture of water and alcohol**” means the ratio of volume of alcohol, measured at 20^o C, contained in the mixture to the total volume of the mixture;

- (4) **"appellate authority"** means the Deputy Commissioner, the Excise Commissioner, or the Financial Commissioner, as the case may be, for the purposes of this Act;
- (5) **"authorized officer"** means an officer authorized to exercise any power or to perform any duties and functions conferred on or imposed under this Act;
- (6) **"Assistant Commissioner"** means an officer appointed by the Government as Assistant Commissioner of Excise under section 5 of this Act;
- (7) **"beer"** means alcoholic beverage prepared from malt or grain with or without addition of sugar and hops and includes black beer, ale, stout, porter and such other substance as may be notified by the Government;
- (8) **"BIS standards"** means standard prescribed by Bureau of Indian Standards or the standards prescribed by any other Central Government authority, constituted under the relevant Act;
- (9) **"black jaggery"** means coarse brown sugar made from palm tree or cane juice ordinarily unfit for human consumption but contains sufficient quantity of fermentable sugar for manufacture of ethyl alcohol;
- (10) **"blending"** means mixing of two or more spirits which may be of different strengths and different qualities;
- (11) **"bonded warehouse"** means a licensed private bonded warehouse or part of a public bonded warehouse, established under this Act for storing liquor on which duty has not been paid;
- (12) **"bottling"** means transfer of liquor from a cask or other vessel to a bottle or other approved receptacle for the purpose of sale whether any process of rectification be employed or not and includes rebottling;
- (13) **"bottling plant"** means premises where bottling of liquor is done and includes every place therein where it is stored or wherefrom it is issued;
- (14) **"brewery"** means premises where beer is manufactured and includes every place therein where beer is stored or wherefrom it is issued;
- (15) **"compounding"** means the manufacture of alcoholic beverage by addition to spirit of a flavouring or colouring matter or both;
- (16) **"counterfeit liquor"** means a liquor in respect of which -



(a) there is any violation of any right under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) or the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) or any other similar Act in force, or

(b) in respect of which an offence under section 481 or section 483 or section 486 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860) has been committed;

(17) "**country or traditional liquor**" means plain or spiced spirit which has been manufactured in India from material recognized as base for country or traditional spirit namely mahua, rice, gur, molasses etc. and notified as such liquor by the Government;

(18) "**Delhi**" means the National Capital Territory of Delhi;

(19) "**denaturant**" means any substance completely miscible in spirit and of such a character that its addition renders the material, or any aqueous dilution of it, non-potable;

(20) "**denatured spirit**" means spirit with added denaturant to render it effectively and permanently unfit for human consumption ;

(21) "**Deputy Commissioner**" means the officer appointed by the Government as Deputy Commissioner of Excise under section 5 of this Act;

(22) "**distillery**" means premises where spirit is manufactured and includes every place therein where it is stored or wherefrom it is issued;

(23) "**duty**" means the excise duty or the countervailing duty as mentioned in Entry 51 of List II of Seventh Schedule of the Constitution, or as the case may be special duty;

(24) "**excisable article**" means any alcoholic liquor for human consumption or any other similar article which the Government may declare to be an excisable article;

(25) "**Excise Commissioner**" means the officer appointed by the Government as Excise Commissioner under section 3 of this Act;

(26) "**excise officer**" means any officer or person appointed or invested with powers under this Act;



- (27) **"excise revenue"** means revenue derived or derivable from any payment, duty, fee, tax, confiscation or fine, imposed or ordered under the provisions of this Act, or of any other law for the time being in force relating to intoxicants but does not include fine imposed by a court of law;
- (28) **"excise tree"** includes the gul, mahua, coconut, palm, palmyra, date, begani or doddasal tree or any other tree, the fermented or unfermented juice of which contains alcohol and from which toddy or any other liquor can be prepared;
- (29) **"export"** means to take out of Delhi to any other State within the country;
- (30) **"export out of India"** with its grammatical variations and cognate expressions means taking out of Delhi to any place out side India;
- (31) **"extra neutral alcohol or silent spirit"** means spirit as may be specified by the relevant Central Government Authority;
- (32) **"fermented liquor"** means liquor obtained by the process of fermentation and includes beer, ale, stout, porter, wine, pachwai, fermented tari and any other similar liquor;
- (33) **"Financial Commissioner"** means the Financial Commissioner of the National Capital Territory of Delhi;
- (34) **"foreign liquor"** means any liquor imported by land, sea or air into India;
- (35) **"Government"** means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;
- (36) **"illicit liquor"** means any liquor manufactured or stored or distributed or sold, in contravention of the provisions of this Act or the rules framed thereunder or liquor on which appropriate duty or fee leviable under this Act or the rules framed there under, has not been paid and includes foreign liquor on which appropriate duty of customs has not been paid;
- (37) **"import"** means to bring into Delhi from any other state of the country;
- (38) **"import into India"** with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into Delhi from any place out side India;



(39) "**Indian liquor**" means liquor manufactured in India by process of distillation or using alcohol obtained by distillation such as whisky, brandy, rum, gin, vodka, liqueurs, but does not include country liquor or fermented liquor;

(40) "**intoxicant**" means and includes,-

(a) any liquor;

(b) any spirit;

(c) any intoxicating drug;

(d) any other article, which the Government may from time to time declare to be intoxicant, except the substances covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, for the purpose of this Act;

(41) "**intoxicating drug**" means -

(a) the dried leaves of the Indian hemp plant known as bhang, siddhi or patti or cannabis sativa,

(b) any mixture with or without natural materials of bhang, siddhi or patti or cannabis sativa or any drink prepared therefrom;

(42) "**Legislative Assembly**" means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(43) "**Licence**" means a licence granted under this Act and the rules framed thereunder;

(44) "**licensing authority**" means an officer who is authorized to grant, suspend and cancel licence, permit and pass under this Act;

(45) "**Lieutenant Governor**" means the Lieutenant Governor of Delhi appointed by the President under Article 239 of the Constitution;

(46) "**liquor**" means any alcoholic beverage and includes whisky, brandy, beer, wine, toddy, tari, pachwai, vodka, gin, tequila, country liquor, arrack and intoxicating liquid consisting of or containing alcohol as may be specified under



BIS standard besides any similar substance which the Government may by notification declare to be liquor for the purpose of this Act;

(47) **“major and minor offences”**

(a) major offences mean -

- (i) adulteration;
- (ii) sale of non-duty paid liquor, (NDPL);
- (iii) illicit manufacture, possession, transport, transit and sale of liquor;
- (iv) rendering denatured spirit fit for human consumption;
- (v) mixing noxious substance with liquor;
- (vi) tampering with sealed bottles;
- (vii) sale to minor;

(b) the remaining offences under this Act shall be minor offences;

(48) **“manufactory”** means any distillery, brewery, winery or any establishment distilling, brewing, manufacturing, blending or bottling liquor;

(49) **“manufacture”** includes any process -

- (a) incidental or ancillary to the completion of manufactured intoxicants,
- (b) whether natural or artificial, by which any intoxicant is produced or prepared and also re-distillation and every process for the rectification, reduction, flavouring, blending or colouring of liquor, or
- (c) which in relation to intoxicant involves packing or repacking of such article in bottle or unit package or labelling or re-labelling of bottles or unit package, including the declaration or alteration of maximum retail price (MRP) on it or adoption of any other treatment on the intoxicant for sale to the consumers;

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that labelling of bottles or unit packages, imported into India or into Delhi, to comply with statutory requirements shall not be construed as manufacture;

(50) **“manufacturer”** means any person who manufactures intoxicants and includes a manufacturer of alcohol subject to excise duty under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);



- (51) "**molasses**" means heavy viscous liquid produced, in the final stage of manufacture of gur or sugar including khandsari, sugar from sugar cane or gur, when liquid as such or in any form or ad-mixture containing sugar which can be fermented;
- (52) "**MRP**" means the maximum price at which the liquor may be sold to the ultimate consumer and shall include all taxes, freight, transport charges, commission or trade margin payable to dealers, and all charges towards marketing, delivery, packing, forwarding and the like as the case may be;
- (53) "**notification**" means a notification issued under this Act and the rules framed thereunder and published in the official Gazette;
- (54) "**officer-in-charge**" means the excise officer authorized to supervise and control manufactory or warehouse;
- (55) "**pachwai**" means fermented rice, millet or other grain, and includes liquid obtained therefrom, whether diluted or undiluted, but does not include beer;
- (56) "**permit**" means an authorization granted under this Act and or the rules framed thereunder;
- (57) "**place**" includes a house, building, shop, booth, tent enclosure, vessel boat, raft and vehicle;
- (58) "**police station**" means a police station having jurisdiction over the place and any other place, which the Government may, by notification, declare to be a police station for the purpose of this Act;
- (59) "**prescribed**" means prescribed by rules made under this Act;
- (60) "**rectification**" includes every process whereby spirit is purified or is coloured or flavoured by mixing any material therewith;
- (61) "**rectified spirit**" means un-denatured alcohol, including absolute alcohol, extra neutral alcohol and alcohol derived from malt as may be specified by the BIS standard;
- (62) "**relevant laws**" means the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948), the Motor Spirit Taxation Act, the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955(16 of 1955), the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and such other Acts relevant to excise revenue;



(63) **"retail price"** means the price fixed by the Excise Commissioner for the sale of intoxicant at which the licensee is bound to sell the intoxicants;

(64) **"retail sale"** means sale in quantities not exceeding the limits of sale by retail for any consideration or not;

(65) **"special duty"** means a tax on the import of any excisable article being an article on which countervailing duty as is mentioned in entry 51 of List II in the Seventh Schedule to the Constitution is not imposable on the ground merely that such article is not being manufactured or produced in the territory to which this Act extends;

(66) **"spirit"** means any liquid containing alcohol obtained by distillation, whether denatured or not;

(67) **"spirituous preparation"** means -

- (a) any medicinal or toilet preparation containing alcohol,
- (b) any antiseptic preparation or solution containing alcohol,
- (c) any flavouring extract, essence or syrup containing alcohol;

(68) **"still"** includes any apparatus or part thereof, for distillation or manufacture of spirit;

(69) **"sub-standard liquor"** means liquor, which does not meet the BIS standards and includes liquor whose nature, substance or quality is so affected -

- (a) by liquor itself, or the package thereof which is composed, whether wholly or in part of poisonous or deleterious substances;
- (b) by virtue of unhygienic processing or presence in that article of any harmful substance;
- (c) by substitution of any inferior or cheaper substance whether wholly or in part;
- (d) by addition of substance directly or as an ingredient which is not permitted;
- (e) by the presence of any colouring matter preservative other than specified in respect thereof;
- (f) by the presence of worm, weevil or insect;



(g) by virtue of its being prepared, packed or kept under insanitary conditions, or

(h) by dilution;

(70) "toddy and tari" means fermented or unfermented juice drawn from a coconut, palmyra, date or any other kind of palm tree;

(71) "transit" means to move from one state to another through Delhi;

(72) "transport" means to move from one place to another within Delhi;

(73) "VAT" means tax on sale or purchase of goods referred to in Entry 54 of the State List (List - II) of the Seventh Schedule to the Constitution;

(74) "warehouse" means a place where storage of liquor is permitted and includes the relevant part of manufactory;

(75) "wholesale sale" means sale in quantities exceeding the limit of sale by retail;

(76) "wine" means a fermented juice of grapes or other fruits with or without the addition of sugar or jaggery containing self generated alcohol and includes fortified wine;

(77) "winery" means - premises where wine is manufactured and includes every place therein where wine is stored or wherefrom it is issued.




CHAPTER II
ESTABLISHMENT AND CONTROL

3. Appointment of Excise Commissioner. - The Government may, by notification, appoint an officer as Excise Commissioner who, subject to the control and orders of the Government in this behalf, shall be the chief controlling authority in all matters connected with the administration of this Act.

4. Powers and functions of Excise Commissioner. - The powers and functions of the Excise Commissioner shall be -

- (a) to regulate, control and monitor manufacture, possession, import, export, transport, sale and consumption of liquor and other intoxicants;
- (b) to curb illegal trade in liquor and illicit distillation;
- (c) to protect excise revenue and ensure prompt recovery;
- (d) to submit returns and information as required by this Act or the rules framed thereunder, to the Government upon all matters concerning excise;
- (e) to ensure social well-being through education for responsible drinking;
- (f) to introduce e-governance in various aspects of excise administration;
- (g) to submit to the Government an annual report on the administration of this Act in the format prescribed;
- (h) to perform such other functions and to exercise such other powers as may, from time to time, be entrusted or delegated to him.



5. Appointment of certain officers and staff. - The Government may appoint such numbers of Additional Commissioners, Joint Commissioners, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners, Excise Inspectors and such other officers and staff as it may deem fit for the purpose of performing the functions under this Act.

6. Excise Intelligence Bureau. - (1) There shall be an Excise Intelligence Bureau, headed by the Excise Commissioner, consisting of such number of excise officers and staff as may be appointed by the Government and such other officers and staff as may be appointed by the Excise Commissioner with the prior approval of the Government.

(2). The Excise Intelligence Bureau shall -

- (a) collect intelligence, keep surveillance and maintain information of excise offences;

(b) collect and disseminate information regarding prominent excise offenders and history sheeters;

(c) detect, monitor detection, investigation and trial of offences under this Act.

7. Excise administration. - (1) The Deputy Commissioner shall be the licensing authority who shall exercise all powers and functions under this Act, subject to the control and supervision of the Excise Commissioner.

(2) The Deputy Commissioner shall, within the limits of his jurisdiction, exercise such powers and perform such duties and functions as are assigned by or under the provisions of this Act subject to such control as the Government may from time to time direct.

(3) The Assistant Commissioner and other subordinate officers shall assist the Deputy Commissioner in exercising his functions.

8. Delegation and withdrawal of powers. - (1) The Government may delegate its powers to the Excise Commissioner subject to such limitations and conditions as may be specified in the order of delegation.

(2) The Excise Commissioner and the Deputy Commissioner may, by order, delegate their powers under this Act to any subordinate officer subject to such limitations and conditions as may be specified in the order of delegation.

(3) The Excise Commissioner or the Deputy Commissioner, as the case may be, may by an order also withdraw from any officer or person any or all the powers so delegated.

9. Investing persons with special powers.- The Government may, by notification, invest in any Government functionary not being an excise officer, with powers to perform all or any of the functions of any excise officer under this Act, and such person shall, in the exercise of these functions, be deemed to be an excise officer.

10. Reward for seizure of intoxicants and vehicles, etc. - The Excise Commissioner may grant reward to excise officers out of the sum collected from the sale of intoxicants, apparatus and vehicles carrying such intoxicants, or otherwise and also to such informers for such work subject to such terms and conditions as may be prescribed.



CHAPTER - III

LICENCE AND PERMIT FOR MANUFACTURE, POSSESSION, SALE, ETC., OF INTOXICANT

11. Prohibition of import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc. of intoxicant. - (1) No person shall construct or establish any manufactory or warehouse, bottle, import, export, transport, transit, manufacture, collect, possess, sell or purchase any intoxicant or use, keep or have in his possession any material whatsoever, still, utensil, implement, apparatus, label, cork, capsule or seal for manufacture of any intoxicant except under the authority and in accordance with the terms and conditions of a licence or letter of intent or permit granted under this Act and the rules framed thereunder.


(2) The possession of labels, corks or capsules by its printer or manufacturer, as the case may be, will not amount to illegal possession and offence under this section if printed or manufactured under the authority from the holder of licence to manufacture intoxicant, issued under this Act.

12. Grant of letter of intent, licence or permit .- Every letter of intent, licence or permit under this Act shall be granted on payment of such fees, for such period and subject to such restrictions, conditions and in such form and contain such particulars, as may be prescribed.

13. Qualifications for grant of licence .- (1) While considering an application for grant of licence or permit, the licensing authority shall have regard that the applicant -

- (a) is a citizen of India;
- (b) is not a defaulter, or black-listed or debarred from holding an excise licence;
- (c) possesses good moral character and has no criminal background or has not been convicted of any offence punishable under this or other relevant Acts:

Provided that in case he is selected as licensee, he shall furnish within thirty days of the grant of licence a certificate issued by the Superintendent of Police of the district or the Commissioner of Police, as the case may be, of which place he is the



resident, showing that he possesses good moral character and has no criminal background or criminal record;

(d) is not in arrears of any Government or public dues; and

(e) is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for it, for conducting the business:

Provided that the details of such funds shall be made available to the licensing authority, if required;

(f) possesses or has an arrangement for taking on rent suitable premises for the licence and such premises have not been constructed in violation of any law;

(g) shall not employ any salesman or representative who has criminal background or suffers from any infectious and contagious disease or is below twenty one years of age;

(2) The licence shall be liable for cancellation, if any document produced with the application is found to be false or forged.

14. Power to take security and counterpart agreement. – Subject to such rules as may be prescribed, any authority granting a licence under this Act, may require the licensee-

(a) to give security for the observance of the terms of his licence; and

(b) to execute a counterpart agreement in conformity with the tenor of his licence.

15. Technical defects in licence and permit. - (1) No licence or permit granted under this Act shall be deemed to be invalid by reason merely of any technical defect, irregularity or omission in the licence or permit, or in any proceedings conducted prior to grant thereof.

(2) The decision of the licensing authority, as to what is a technical defect, irregularity or omission shall be final and binding.

16. Power to withdraw licence and permit.- (1) Whenever the authority which granted a licence or permit under this Act, considers that such licence or permit should be withdrawn for any reason, it may do so on expiry of fifteen days' notice of its intention to do so or forthwith for reasons to be recorded.



(2) If any licence or permit is withdrawn, the licensee or the permit holder shall be refunded any fee paid in advance or deposit made by the licensee or the permit holder in respect thereof after deducting the amount recoverable by the Government.

17. Power to suspend or cancel licence and permit. - (1) Subject to such restrictions as the Government may prescribe, the authority granting any licence or permit under this Act may suspend or cancel it in the following circumstances after giving reasonable opportunity of being heard -

- (a) if the licence or permit is transferred or sublet by the holder thereof without the permission of the licensing authority;
- (b) if any excise revenue payable by the holder thereof is not duly paid;
- (c) in the event of any breach by the holder of such licence or permit or by his servant, or by any one acting on his behalf, with his express or implied permission, of any of the terms and conditions of such licence or permit;
- (d) if the holder of licence or permit or his agent or employee is convicted of an offence punishable under this Act or any other law for the time being in force, relevant and connected with excise matters relating to excise revenue or of any cognizable and non-bailable offence under any other relevant law;
- (e) if the purpose for which the licence or permit was granted ceases to exist;
- (f) if the licence or permit has been obtained through mis-representation or fraud.

(2) When a licence or permit is cancelled under sub section (1), the aforesaid authority may cancel any other licence or permit granted to such person under this Act or under any other law relating to excise revenue.

(3) In the case of cancellation or suspension of licence under sub-section (1), the fee payable for the balance of the period for which any licence would have been current but for such cancellation or suspension, may be recovered from the ex-licensee as excise revenue.

(4) The holder of a licence or permit shall neither be entitled to any compensation for the cancellation or suspension thereof nor to refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.



18. Bar to the right of renewal and to compensation. - No person to whom a licence or permit has been granted, shall be entitled to claim any renewal thereof, and no claim shall lie for damages or otherwise in consequence of any refusal to renew a licence or permit on the expiry of the period for which the same remains in force.

19. Surrender of licence.- No holder of a licence granted under this Act shall surrender his licence except on the expiration of one month's notice in writing given by him to the licensing authority of his intention to surrender the same on payment of the fee payable for the licence for the whole period for which it would have been current but for the surrender:

Provided that if the licensing authority is satisfied that there are sufficient reasons for surrendering the licence, he may remit to the holder thereof the sum so payable, or any portion thereof, on surrender.

20. Transfer of licence or permit. - The licence or permit granted under this Act is not transferable except with the prior approval of the licensing authority subject to such terms and conditions as may be prescribed.

21. Grant of exclusive privilege of manufacture etc.- Subject to the provisions of this Act and the terms and conditions as may be prescribed, the Government may grant to any person a licence either jointly or severally, for the exclusive privilege of manufacturing, supplying by wholesale and sale by retail within any local area.

22. Removal of liquor from manufactory, warehouse, etc., on payment of duty.- No liquor shall be removed from any manufactory, warehouse or other place of storage established under this Act without a relevant pass and unless duty and fee payable has been paid or a bond as may be prescribed, has been executed for the payment thereof.

23. Prohibition of sale to certain persons. - No person or licensed vendor or his employee or agent shall sell or deliver any liquor to any person apparently under the age of twenty five years, whether for consumption by self or others.



24. Prohibition of employment of certain persons.— No licensee shall employ or permit to be employed in his premises any person under the age of twenty one years, or suffering from contagious disease.

25. Closing of shops for preservation of public peace.— The Deputy Commissioner or any other officer authorized by him may, by notice in writing to the licensee, require that any shop in which any liquor is sold shall be closed at such time or for such period as he may think necessary for preservation of public peace:

Provided that the total closure days in the licensing year shall not exceed fifteen days in all or more than three days continuously at any one time:

Provided further that if the Excise Commissioner is of the opinion that any particular shop or all shops in any particular area shall be closed for a period exceeding fifteen days in a year or more than three days continuously at any one time, he may do so for reasons to be recorded.



CHAPTER-IV
EXCISE REVENUE

26. Nature and components of excise revenue.- Excise revenue shall be levied and recovered under the following heads, namely;-

- (a) duty;
- (b) licence fee;
- (c) label registration fee;
- (d) import or export fee;



27. Excise duty, countervailing duty and special duty. – (1) There shall be levied and collected duty on all intoxicants which are produced, manufactured, transported or imported into Delhi at such rates as may be prescribed, not exceeding the rates set forth in the Schedule.

(2) There shall be levied and collected fees for terms, conditions and form of, and duration of, licence, permit and pass.

(3) In computing the retail price, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 27, the duty shall be so increased and computed that the retail price is rounded off up to the next higher multiple of ten rupees, as notified by the Government and such increased duty shall be collected by the Government in the manner prescribed.

28. Power of Government to vary duty.- (1) Where, in respect of any intoxicant, the Government is satisfied that the duty leviable thereon under section 27 of this Act should be increased or decreased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, the Government may, by notification in the official Gazette, direct an amendment of the Schedule to be made so as to substitute for the rate of duty specified in the Schedule in respect of such intoxicant.

(2) Every notification under sub-section(1) shall be laid before the Legislative Assembly, if it is sitting, as soon as may be after the issue of the notification, and, if it is not sitting, within seven days of its re-assembly, and the Government shall seek the approval of the Legislative Assembly to the notification by a resolution moved within a period of fifteen days beginning with the day on which the notification is so laid before

the Legislative Assembly. If the Legislative Assembly makes any modification in the notification or directs that the notification should cease to have effect, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

29. Recovery of duty and other levies and lien on the property of defaulter. - (1)

All excise revenue, payable to the Government under this Act, may be recovered from the person liable to pay the same or his legal successors or from his surety or his agent as if they were the arrears of land revenue.

(2) In the event of default in payment of excise revenue or otherwise, by any person licensed under this Act, his manufactory, warehouse, shop or premises and all fittings, apparatus, stocks of liquor or material for the manufacture of the same, held therein shall be liable to be attached towards any claim for excise revenue or in respect of any loss incurred by the Government through such default and be sold to satisfy such claim which shall be the first charge upon the proceeds of such sale.

(3) Where duty due is not levied or not paid or short-levied or short paid or erroneously refunded,-

(a) the Assistant Commissioner may, within four years from the relevant date, serve notice on the person chargeable with the duty which has not been levied or paid or which has been short-levied or short-paid or to whom the refund has erroneously been made, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice;

Explanation -I.- Where the service of the notice is stayed by an order of the court, the period of such stay shall be excluded in computing the aforesaid period of four years;

Explanation -II.- For the purposes of this clause "relevant date" means -

(i) in the case of intoxicants on which duty has not been levied or paid or has been short-levied or short-paid, the date on which the duty is to be paid under this Act or the rules made thereunder;



(ii) in a case where duty is provisionally assessed under this Act or the rules made thereunder, the date of adjustment of duty after the final assessment thereof;

(iii) in the case of intoxicants on which duty has been erroneously refunded, the date of such refund;

(b) the Assistant Commissioner shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom notice is served under clause(a), determine the amount of duty due from such person (not being in excess of the amount specified in the notice) and thereupon such person shall pay the amount so determined.

30. Interest payable for failure to pay excise revenue.- If the excise revenue payable by a person under this Act or the rules made there under is not paid within time, he shall be liable to pay on the sum due, a simple interest at the rate of twelve percent per annum from the date next following the day on which such payment became due.

Explanation.- Where the duty determined to be payable is reduced or increased by the appellate authority or court, the interest shall be payable on such reduced or increased amount of excise revenue, as the case may be.

31. Power to reduce or waive interest in certain cases.- Notwithstanding anything contained in this Act, the Excise Commissioner may, on the application made in this behalf by a person, with the approval of the Government and after recording his reason for so doing, reduce or waive the amount of any interest payable by him under this Act if he is satisfied that -

(a) to do otherwise would cause genuine hardship to the person having regard to the circumstances of the case; and

(b) the person has co-operated in any proceeding for the recovery of any amount due from him.

32. Accounts and returns. - Every licensee shall maintain such accounts and submit to the authorized officers such returns in such forms containing such particulars relating to stock, apparatus, duty, fee payable and paid to the Government and such other information at such intervals as may be prescribed.



CHAPTER V
OFFENCES AND PENALTIES

33. Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued or of any licence, permit or pass, granted under this Act-

- (a) manufactures, imports, exports, transports or removes any intoxicant;
- (b) constructs or works any manufactory or warehouse;
- (c) bottles any liquor for purposes of sale;
- (d) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than toddy or tari;
- (e) possesses any material or film either with or without the Government logo or logo of any State or wrapper or any other thing in which liquor can be packed or any apparatus or implement or machine for the purpose of packing any liquor;
- (f) sells any intoxicant, collects, possesses or buys any intoxicant beyond the prescribed quantity,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.

34. Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption.- Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit, which has been denatured, or has in his possession any spirit in respect of which he knows or has reason to believe that such attempt has been made, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to five years, and with fine, which may extend to two lakh rupees.

35. Penalty for mixing noxious substance with liquor. - Whoever mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him any noxious drug or any foreign ingredient likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings, shall be punishable -

- (a) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees;



(b) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused, with imprisonment for a term which shall not be less than six years but which may extend to imprisonment for life, and with fine which may extend to five lakh rupees;

(c) if as a result of such an act, any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which may extend to one year and fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees;

(d) if as a result of such an act, no injury is caused, with imprisonment which may extend to six months and fine which may extend to one lakh rupees.

Explanation.- For the purpose of this section the expression "grievous hurt" shall have the same meaning as in section 320 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860) .

36. Order to pay compensation.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the court, when passing an order under this Act may, if it is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of liquor sold in any place, order the manufacturer and seller, whether or not he is convicted of an offence, to pay, by way of compensation, an amount not less than three lakh rupees to the legal representatives of each deceased or two lakh rupees to the person to whom grievous hurt has been caused, or twenty thousand rupees to the person for any other consequential injury:


Provided that where the liquor is sold in a licensed shop, the liability to pay the compensation under this section shall be on the licensee.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the High Court:

Provided that no appeal can be filed by the accused unless the amount ordered to be paid under sub-section (1) is deposited by him in the court:

Provided further that the High Court may entertain appeal after expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

37. Penalty for selling spurious liquor.- Whoever sells or keeps or exposes for sale as foreign liquor which he knows or has reason to believe to be Indian liquor shall be



punishable with imprisonment which may extend to six months and fine which may extend to one lakh rupees .

38. Penalty for possession of liquor unlawfully imported, non duty paid, etc.-

Whoever has in his possession any liquor knowing the same to have been unlawfully imported, transported or manufactured or knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months and fine which may extend to one lakh rupees.

39. Penalty for consumption of liquor in chemist's shop.- (1) If a chemist, druggist, apothecary or keeper of a dispensary, allows any liquor which has not been bonafidely medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person, he shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

(2) If a person consumes any such liquor on such premises, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

40. Penalty for consumption of liquor in public place. - Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made thereunder -

- (a) consumes liquor in a public place;
- (b) consumes liquor in public place and creates nuisance;
- (c) permits drunkenness or allows assembly of unsocial elements on the premises of liquor establishment;



shall be punishable,

1) in case of an offence falling under clause (a), with fine which may extend to five thousand rupees,

2) in case of an offence falling under clause (b), with imprisonment for a term which may extend to three months and fine which may extend to ten thousand rupees,

3) in case of an offence falling under clause (c), with imprisonment for a term which may extend to six months and fine up to fifty thousand rupees.

41. Penalty for unlawful advertisement.- Whoever prints, publishes or gives an advertisement directly or indirectly in any media soliciting the use of any liquor, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both:

Provided that this section shall not apply to catalogue and price list and advertisement generally or specially approved by the Excise Commissioner for display at the points of sale for consumer information and education.

42. Penalty for employing minors or selling liquor to minors.- (1) If any licence holder or any person acting on his behalf, sells or delivers any liquor to any person apparently under the age of twenty five years, he shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) If a licence holder employs any person under the age of twenty one years, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

43. Penalty for assault and obstruction. – Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860) any person who assaults or threatens to assault or obstructs or attempts to obstruct any excise officer in the discharge of his official duties shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one lakh rupees.

44. Liability of employer for offence committed by his employee or agent. – The holder of a licence or permit granted under this Act, as well as the actual offender, shall be liable for an offence committed by his employee or his agent, unless he proves that due and reasonable precautions were exercised by him to prevent commission of such offence.

45. Penalty for manufacture, sale or possession by one person on account of another. – (1) Where any intoxicant has been manufactured or sold or is possessed by any person on account of any other person and such other person knows or has reason to believe that such manufacture or sale was or that such possession is, on his account, the intoxicant shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been manufactured or sold by or to be in the possession of such other person.

(2) Nothing in sub section (1) shall absolve any person who manufactures, sells or has in possession any intoxicant on account of another person, from liability to any punishment under this Act for unlawful manufacture, sale or possession of such intoxicant.

46. Penalty for non-payment of duty or fee.- If any person fails to pay any duty or fee, which under this Act he is liable to pay, he shall be punishable with imprisonment for a



term which may extend to one year and also with fine which may extend to one lakh rupees.

47. Penalty for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence. -

Whoever, being a licensee under this Act and having the control or use of any house, room, enclosure, space, animal, or conveyance, knowingly permits it to be used for commission by any other person of an offence punishable under any provision of this Act, shall be punishable in the same manner as if he had himself committed the said offence.

48. Penalty for attempt to commit an offence.- Whoever attempts to commit an offence punishable under this Act, shall be liable for half the punishment provided for the offence under this Act.

49. Penalty on excise officer for making vexatious search, seizure, detention or arrest. - Any excise officer or other person who vexatiously and without reasonable ground for suspicion -

(a) enters or searches or causes to be entered or searched any closed place under colour of exercising any power conferred by this Act;

(b) seizes the moveable property of any person on the pretext of seizing or searching for any article liable to confiscation under this Act;

(c) searches, detains or arrests any person;

(d) in any other way exceeds his lawful powers under this Act,

shall be liable to imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

50. Penalty on excise officer refusing to do duty.- Any excise officer who, without lawful excuse, refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office, unless expressly allowed to do so in writing by the Excise Commissioner, or unless he shall have given to his official superior officer two months' notice in writing of his intention to do so, or who shall be guilty of cowardice shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

51. Penalty for offences not otherwise provided for.- Whoever does any act in contravention of any of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder



and punishment for which has not been otherwise provided for such contravention, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

52. Presumption as to commission of offence in certain cases. - (1) In prosecution under section 33, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the accused person has committed the offence punishable under that section in respect of any intoxicant, still, utensil, implement or apparatus, for the possession of which he is unable to account satisfactorily.

(2) Where any animal, vessel, cart or other vehicle is used in the commission of an offence under this Act, and is liable to confiscation, the owner thereof shall be deemed to be guilty of such offence and such owner shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, unless he satisfies the court that he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence.

53. Enhanced punishment after previous conviction. - If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act, subsequently commits and is convicted of an offence under this Act, he shall be liable to twice the punishment, provided for the first conviction.

54. Power of court to implead manufacturer, etc. - Where at any time during the trial of any offence under this Act alleged to have been committed by any person, not being the manufacturer, distributor or dealer of any intoxicant, the court is satisfied, on the evidence adduced before it, that such manufacturer, distributor or dealer is also concerned with that offence, then, the court may, notwithstanding anything contained in sub-section

(3) of section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), proceed against him under any section of this Chapter.

55. Magistrate's power to impose enhanced penalties. - Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate to pass any sentence, authorized by this Act, except a sentence of imprisonment for life or for a term exceeding six years, in excess of his powers under the said section.

56. Commission of offence by companies. - (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and



responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that where a company has different establishments or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Chief Executive and the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for the conduct of the business shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- for the purpose of this section-

“company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and “director”, in relation to firm, means a partner in the firm.

57. Compounding of certain offences.- (1) Minor offences shall be compoundable under this Act.

(2) Any person who is reasonably suspected of having committed a minor offence under this Act, may apply to the Assistant Commissioner for compounding of the offence, before he is convicted.

(3) On receipt of such application, the Assistant commissioner, having regard to the circumstances of the case, may in his discretion order for compounding of the offence on payment of a sum of money by way of compounding fee or compensation for the offence on such terms and conditions as he deems fit.



(4) On payment by the person such sum of money such person, if in custody, shall be set at liberty and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court:

Provided that the sum of money fixed as compounding fee or compensation by the Assistant Commissioner under this section shall not be less than five times and not be more than ten times the duty involved or value of intoxicant, apparatus, vehicle and other material, whichever is higher:

Provided further that where intoxicant, apparatus, vehicle or other material is seized, the same shall not be released but shall be disposed of in such manner as may be prescribed.

58. Certain things liable to confiscation.- Whenever an offence has been committed, which is punishable under this Act, following things shall be liable to confiscation, namely-

(a) any intoxicant, material, still, utensil, implement, apparatus in respect of or by means of which such offence has been committed;

(b) any intoxicant unlawfully imported, transported, manufactured, sold or brought along with or in addition to, any intoxicant, liable to confiscation under clause (a);

(c) any receptacle, package, or covering in which anything liable to confiscation under clause (a) or clause (b), is found, and the other contents, if any, of such receptacle, package, or covering;

(d) any animal, vehicle, vessel, or other conveyance used for carrying the same.

59. Confiscation by Deputy Commissioner in certain cases.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where anything liable for confiscation under section 58 is seized or detained under the provisions of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, without any unreasonable delay, produce the said seized property before the Deputy Commissioner.



(2) On production of the said seized property under subsection (1), the Deputy Commissioner if satisfied that an offence under this Act has been committed may, whether or not prosecution is instituted for the commission of such an offence, order confiscation of such property, otherwise he may order its return to the rightful owner.

(3) While making an order of confiscation under sub-section (2), the Deputy Commissioner may also order that such of the properties to which the order of confiscation relates, which in his opinion cannot be preserved or are not fit for human consumption, be destroyed. Whenever any confiscated article has to be destroyed in conformity with these provisions, it shall be destroyed in the presence of the excise officer not below the rank of an inspector.

(4) Where the Deputy Commissioner, after passing an order of confiscation under sub-section (2), is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may order the confiscated property or any part thereof to be sold by public auction or dispose it of otherwise.

(5) When an order for confiscation of any property has been passed under section 59 and such order has become final in respect of the whole or any portion of such property, such property or portion thereof, as the case may be, shall vest in the Government free from all encumbrances.

(6) The Deputy Commissioner shall submit a report of all particulars of confiscation to the Excise Commissioner within one month of such confiscation.

(7) Any intoxicant, mahua flowers or molasses and any other property if confiscated in a case compounded under section 57 of the Act or in respect of which an offence has been committed and the offender is not known or cannot be found, shall be disposed of in the manner as prescribed.

60. Order of confiscation and destruction not to interfere with other punishment. -

(1) The order of confiscation under section 58 shall not prevent imposition of any other punishment to which a person is liable under this Act.



(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the disposal of confiscated goods in the manner, thereby non-production of case property before the trial court, shall not affect the conviction for an offence under this Act:

Provided that the samples of the intoxicants and the photographs of the confiscated property may be preserved to meet the evidentiary requirements.

61. Bar of jurisdiction in confiscation.- Whenever any intoxicant, material, still, utensil, implement, apparatus or any receptacle, package, vessel, animal, cart, or other conveyance used in committing any offence, is seized or detained under this Act, no court shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, have jurisdiction to make any order with regard to such property.

62. Relevancy of statements under certain circumstances.- (1) A statement made and signed by a person before any gazetted excise officer, during the course of an inquiry or proceeding under this Act, shall be relevant for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act, the truth of the fact which it contains,

(a) when the person who made the statement is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the Court considers unreasonable; or

(b) when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court and the court is of opinion that having regard to the circumstances of the case, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice.

(2) The provisions of sub-section (1) shall so far as may be, apply in relation to any proceeding under this Act, other than proceeding before a court, as they apply in relation to a proceeding before a court.

DVS

CHAPTER-VI**DETECTION, INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES**

63. Power to obtain information.- The Excise Commissioner or any authorized excise officer may by order, require any person or any establishment deemed reasonably connected with any unlawful handling of any intoxicant to furnish to him such information as may be specified in the order.

64. Landholders, officers and others to give information.- (1) Whenever any liquor is manufactured, imported, exported, transported, collected, possessed or sold in contravention of this Act, the owner or occupier of the land or building or his agent, and every officer of police, land revenue department, local bodies and block development office shall, in the absence of reasonable excuse, be bound to give notice of the fact to an officer of the excise department as soon as the fact comes to his knowledge.

(2) Every person referred to in sub-section (1) shall be bound to assist the excise officers in carrying out the provisions of this Act.

(3) Every excise officer shall be bound to give immediate information to the Deputy Commissioner, of all breaches of any of the provisions of this Act, which may come to his knowledge under sub-section (1) or otherwise.

65. Power of arrest, search and seizures.- (1) Any excise officer may search any place, seize any article and arrest or detain any person if there is a reasonable doubt about them being involved in the commission of an offence under this Act:

Provided that no search shall be deemed to be irregular by reason only of the fact that witness for the search is not inhabitant of the locality in which the place searched is situated.

(2) Save as otherwise expressly provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search, seizure, arrest, detention, summons and investigation shall apply, as far as may be, to all actions taken in these respects under this Act.

66. Duty of police to accept seized articles. - Every officer-in-charge of a police station shall take charge of and keep in safe custody, pending the order of the Magistrate or the



Deputy Commissioner, all articles seized under this Act which may be delivered to him and shall allow the excise officer who may accompany such articles, to affix his seal to such articles and to take samples of and from them.

67. Offences under this Act to be cognizable.- All major offences under this Act shall be cognizable and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply to them.


68. Certain offences to be non-bailable.- All offences punishable under this Act with imprisonment of two years and more, shall be non-bailable and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) with respect to non-bailable offences, shall apply to those offences.

69. Power of court to try cases summarily.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences under this Act punishable with fine or with imprisonment for a term not exceeding three years shall be tried in a summary way by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall as far as may be, apply to such trial :

Provided that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Metropolitan Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year:

Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Metropolitan Magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Metropolitan Magistrate shall, after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

70. Security for good conduct and abstaining from committing offences. - (1) Whenever any person is convicted of an offence punishable under this Act and the court convicting him is of opinion that such person habitually commits or attempts to commit, or abets the commission of any such offence and that it is necessary to require such person to execute a bond for abstaining from the commission of any such offence, the court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond




for a sum proportionate to his means, with or without sureties, for abstaining from the commission of such offence during such period, not exceeding three years, as it thinks fit to fix.

(2) The bond shall be in the prescribed form in terms of the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and shall in so far as they are applicable, apply to all matters connected with such bond to as if it were a bond to keep the peace ordered to be executed under section 106 of that Code.

(3) If the conviction is set-aside on appeal or otherwise, the bond so executed shall become void.

(4) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court when exercising its power of revision.



CHAPTER -VII
REVIEW, APPEAL AND REVISION

71. Review. – Any excise officer making an order under this Act may, within sixty days on his own motion or on an application, review his order, if the order contains some error or omission apparent in such order:

Provided that order shall not be reviewed except after giving a reasonable opportunity of being heard to the person affected by that order.

72. Appeal .- (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act by an excise officer, subordinate to the Deputy Commissioner, may appeal to the Deputy Commissioner.

(2) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act by the Deputy Commissioner may appeal to the Excise Commissioner.

(3) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act by the Excise Commissioner may appeal to the Financial Commissioner.

(4) Such appeal shall be filed within thirty days from the date of communication of such decision or order together with self attested copy thereof:

Provided that a further period of thirty days may be allowed if the appellant establishes that sufficient cause prevented him from presenting the appeal within the aforesaid period of thirty days.

(5) At the hearing of an appeal, an appellant may be allowed to go into any ground not specified in the grounds of appeal or take additional evidence if necessary, if it is established that such omission was not wilful or unreasonable.

(6) The appellate authority, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order as the case may be.

(7) The appeal shall be heard and decided within one year from the date on which such appeal is filed:

Provided that if an appeal is not decided within one year the relief prayed for in the appeal shall be deemed to have been granted.



73. Order of appellate authority.- (1) The order of the appellate authority disposing of the appeal shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision.

(2) The appellate authority shall communicate the order passed by him to the appellant and the excise officer whose order formed the subject matter of appeal.

74. Deposit of excise revenue before filing appeal.- (1) Where the decision or order appealed against under this chapter relates to any duty, fee or penalty levied under this Act, the person desirous of appealing against such decision or order shall produce satisfactory proof the payment of the Excise revenue before filing the appeal.

(2) Where in any particular case, the appellate authority is of opinion that the appellant has a prima facie case in his favour and deposit of duty, fee or penalty levied would cause undue hardship to such person, the appellate authority, on an application from the appellant, may dispense with such deposit and stay its recovery subject to furnishing to such security and to such conditions as he may deem fit to impose, so as to safeguard the interest of revenue:

Provided that no appeal shall be entertained by the appellate authority, unless it is satisfied that such amount of excise revenue, as the appellant may admit to be due from him, has been paid.

(3) Where an application is filed for dispensing with the deposit of excise revenue levied under sub-section (2), the appellate authority shall, where it is possible to do so, decide such application within thirty days from the date of its filing.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no recovery action shall be initiated against the appellant until the application under sub-section (2) has been decided by the appellate authority.

75. Revision of orders by Excise Commissioner.- (1) The Excise Commissioner may, on his own motion, call for the record of any proceeding in which an officer subordinate to him has taken any decision or passed an order under this Act, including those related to the grant, issue or refusal to grant a licence, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any such decision or order and may make such inquiry or cause



such inquiry to be made and, subject to the provision of this chapter, pass such order thereon as he thinks fit.

(2) No order, which is prejudicial to any person shall be passed under this section unless the person has been given an opportunity of being heard.

(3) The Excise Commissioner shall communicate the order passed by him under subsection (1) to such person and the excise officer whose order formed the subject matter of revision.

(4) No order under this section shall be passed by the Excise Commissioner in respect of any issue if an appeal against such issue is pending before the Deputy Commissioner.

(5) No order under this section shall be passed after the expiry of six months from the date on which the order sought to be revised has been passed.



CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS PROVISIONS

76. Power of Government to declare what shall be deemed to be liquor.- The Government may, by notification, declare as to what shall be deemed to be liquor for the purpose of this Act or the rules framed thereunder.

77. Power of Government to regulate drinking and to enforce prohibition.- The Government may issue such order and take such measures as may be deemed appropriate to regulate drinking or to enforce prohibition in whole or in any part of Delhi.

78. Power of Government to regulate molasses, black jaggery, mahua flower, etc. to prevent misuse. - The Government may frame rules to regulate movement, possession and sale of molasses, black jaggery, mahua flower, etc., indicating terms and conditions as are necessary and expedient to prevent their misuse for illicit distillation.

79. Power to regulate advertisement.- No advertisement, direct or surrogate, shall be made for promoting consumption of liquor. The Excise Commissioner may, however, at his discretion allow such advertisement which is educative and promotes responsible drinking.

80. Bar and limitation of certain suits. - No suit for damages shall lie in any civil court against the Government or any officer or person for any act done in good faith, in pursuance of this Act or of any other law for the time being in force relating to the excise revenue.


81. Power of Government to make rules. - (1) The Government may by notification makes rules not inconsistent with the provisions of this Act to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

- (a) prescribing the powers and duties of excise officers and delegation of power;
- (b) prescribing the time and manner of presenting appeals and the procedure for prosecuting and dealing with review, appeal and revision;



- (c) regulating import, export, transport, manufacture, collection, possession supply or storage of any intoxicant, mahua flower, black jaggery and molasses;
- (d) regulating the sale and possession of toddy, neera or tari and tapping of trees for drawing toddy or tari;
- (e) declaring the process of denaturation of spirit;
- (f) regulating the wholesale or retail sale of intoxicants;
- (g) regulating the time, place, rate and manner of payment of duty or fee and the taking of security for its due payment;
- (h) prescribing the authority by which, the form and the manner in which, and the terms and conditions, subject to which any licence, permit or pass shall be granted;
- (i) providing for the destruction or other disposal of any liquor deemed to be unfit for use;
- (j) regulating disposal of confiscated articles;
- (k) providing for the grant of reward to excise officers and informers;
- (l) regulating the grant of expenses to witnesses;
- (m) regulating the power of excise officer to summon witnesses;
- (n) curbing activities of boot-leggers who distill, manufacture, store, transport, import, export, sell or distribute any intoxicant in contravention of any provision of this Act or the rules made thereunder;
- (o) any other matter which is required to be, or may be prescribed under this Act.



(3) Without prejudice to any provision made in this behalf, any rule made under this Act may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act:

Provided that no rule shall be given effect retrospectively if it would have the effect of prejudicially affecting the interest of a person.

(4) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or the Legislative Assembly agrees that the rule should not be made, the rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

82. Power to remove difficulties. - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly.

83. Repeal and savings: Immediately with effect from the date on which this Act comes into force, the Punjab Excise Act 1914 (1 of 1914) as in force in the National Capital Territory of Delhi shall stand repealed, provided that the repeal shall not affect-

- (a) the previous operation of the Act under repeal;
- (b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed under the Act under repeal;



(c) any investigation or remedy in respect of any such penalty, forfeiture or punishment;

(d) any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed:


Provided that subject to the preceding provisions, anything done or any action taken under the Act under repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act and shall continue in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.



Schedule

(See section 27)

S. No.	Description of intoxicants	Rate
1.	2.	3.
1.	Indian Liquor and Foreign Liquor	400 per cent of the wholesale price.
2.	Wine and Liqueur (Indian and Foreign)	80 per cent of the wholesale price.
3.	Beer and Cider (Indian and Foreign)	200 per cent of the wholesale price.
4.	Country Liquor.	250 per cent of the wholesale price.
5.	Spirituous Preparations, including essence, but other than Medicinal and Toilet preparations, as defined in the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955)	20 per cent of the wholesale price.
6.	Bhang	Rs. 5.00 per kilogram.


 (Savita Rao)
 Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवां ताल, सी-विंग, दिल्ली रायिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002

स0फा014 (2)/एल.ए-2008/एल.जे/10/Letaw/288

दिनांक: 28 जुलाई, 2010

अधिसूचना

स0फा014(2)/एल.ए-2008/एल.जे/10/Letaw/288 भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 01. जुलाई, 2010 को मिली सहमति के पश्चात दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है :-

“दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009

(2010 का दिल्ली अधिनियम 10)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 को यथापारित)

(01 जुलाई, 2010)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शराब तथा अन्य मादक पदार्थ के विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन/दुलाई, स्वत्व, कय, विकय इत्यादि से सम्बन्धित विधियों को समेकित, संशोधित तथा अद्यतन करने के लिये और इससे सम्बन्धित या इसके प्रासंगिक विषयों के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिरूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अल्कोहल” का अर्थ $C_2H_5 OH$ रसायनिक संरचना वाली किसी स्ट्रेण्थ तथा शुद्धता वाली ईथालइ अल्कोहल से है ;

- (2) “अल्कोहल युक्त मादक पेय या पेय शराब” भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप कोई मादक पेय, जो मादक हो सकता है और मानवीय प्रयोग के लिये उपयुक्त है ;
- (3) “पानी तथा अल्कोहल के किसी मिश्रण की (%घनत्व) में अल्कोहल युक्त स्ट्रेंथ” का अर्थ है मिश्रण की कुल मात्रा में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी मिश्रण में अल्कोहल के घनत्व का अनुपात ;
- (4) “अपीलीय प्राधिकारी” का अर्थ इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपायुक्त, आबकारी आयुक्त या वित्तीय आयुक्त जैसी भी स्थिति हो, से है ;
- (5) “प्राधिकृत अधिकारी” का अर्थ इस अधिनियम के अधीन प्रपत्र या सौंपी गयी किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिये या किन्हीं दायित्व तथा कर्तव्यों को करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी से है ;
- (6) “सहायक आयुक्त” का अर्थ इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सहायक आबकारी आयुक्त के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;
- (7) “बीयर” का अर्थ है चीनी तथा हॉप सहित या रहित यवरस या अनाज से तैयार अल्कोहल युक्त मादक पेय तथा इसमें ब्लैक बियर, यक्सुरा रोज बियर तथा पोर्टर तथा सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित अन्य पदार्थ ;
- (8) “भारतीय मानक ब्यूरो के मानक” का अर्थ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक या सम्बद्ध अधिनियम के अन्तर्गत गठित अन्य केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक ;
- (9) “काला गुड़” ताड़ के वृक्ष या गन्ने से निर्मित शक्कर सामान्यतः मानवीय उपयोग के लिये अनुपयुक्त लेकिन इसमें ईथार्शल अल्कोहल के विनिर्माण के लिये किण्वन योग्य चीनी की प्रचुर मात्रा होती है ;
- (10) “समिश्रण” का अर्थ दो या अधिक प्रकार के स्प्रेट को मिलाना जिन की भिन्न-भिन्न स्ट्रेंथ और भिन्न-भिन्न गुण हो सकते हैं ;
- (11) “बद्धभण्डागार” का अर्थ कोई लाइसेंस शुदा शराब के भण्डारण के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कोई लाइसेंस शुदा निजी भण्डागार या किसी सार्वजनिक भण्डागार का भाग ;
- (12) “बोतल भरवाई” का अर्थ बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी पीपे या अन्य पात्र से किसी अन्य अनुमोदित पात्र में शराब भरना चाहे परिशोधन की कोई प्रक्रिया अपनाई गयी है या नहीं । इसमें पुनः बोतल भरवाई शामिल है ;
- (13) “बोतल भरने का संयंत्र” का अर्थ जिस परिसर पर शराब की बोतल भरी जाती है और इसमें प्रत्येक स्थान शामिल है, जिसमें इसका भण्डारण होता है और जहां से यह जारी होती है ;
- (14) “मद्य निर्माणशाला” का अर्थ जिस परिसर में बीयर विनिर्मित होती है और इसमें प्रत्येक स्थान शामिल है जिसमें इसका भण्डारण होता है या जहां से यह जारी होता है ;

- (15) “यौगिकीकरण” का अर्थ रिप्रेट में कोई सुगन्ध युक्त या रंगदार पदार्थ या दोनों मिलाकर अल्कोहल युक्त मादक पेय का विनिर्माण करना ;
- (16) “नकली शराब” का अर्थ कोई शराब जिसके सम्बन्ध में –
- (क) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) या कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) या प्रचलित कोई अन्य इस प्रकार का अधिनियम; या
- (ख) जिसके सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का XLV) की धारा 481 या धारा 483 या धारा 486 के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया है ;
- (17) “देसी या परम्परागत शराब” का अर्थ देसी या परम्परागत रिप्रेट के आधार के रूप में मान्य भारत में विनिर्मित सादी या मसालेदान शराब से है सामग्री अर्थात् महुआ, चावल, गुड़, शीरा इत्यादि तथा सरकार द्वारा ऐसी शराब के लिये अधिसूचित सामग्री से है ;
- (18) “दिल्ली” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से है ;
- (19) “विकृति कारक पदार्थ” का अर्थ रिप्रेट में पूर्णतः मिश्रणीय कोई पदार्थ और ऐसे गुणवाला कि इसके मिलाने से कोई रागरी या इसका कोई जलीय पतलापन (तनूकृत) जो पीने योग्य न हो ;
- (20) “विकृत रिप्रेट” का अर्थ इसे तीव्र बनाने के लिये विकृति कारक पदार्थ के साथ मिलाकर बनी रिप्रेट से और जो स्थाई रूप से मानवीय उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है ;
- (21) “उपायुक्त” का अर्थ इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपायुक्त आबकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से है ;
- (22) “शराब का कारखाना” वह परिसर जिस परिसर में रिप्रेट विनिर्मित की जाती है और इसमें शामिल प्रत्येक स्थान यहाँ यह भण्डारित की जाती है या यहाँ से यह जारी की जाती है ;
- (23) “शुल्क” का अर्थ संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 51 में यथा वर्णित आबकारी शुल्क या बराबर शुल्क से है या जैसी भी स्थिति हो, विशेष शुल्क;
- (24) “उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थ” का अर्थ मानवीय प्रयोग के लिये अल्कोहल युक्त शराब या कोई अन्य इस प्रकार का पदार्थ जिसे सरकार उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थ घोषित कर सकती है ;
- (25) “आबकारी आयुक्त” का अर्थ इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ;
- (26) “आबकारी अधिकारी” का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त या लगे किसी अधिकारी या व्यक्ति से है ;

- (27) “आबकारी राजस्व” का अर्थ इस अधिनियम या मादक पदार्थों सम्बन्धी इस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत लगाये गये या आदेश किये गये किसी भुगतान, शुल्क, फीस, कर, ज़ब्ती या सरदण्ड से प्राप्त या प्राप्य योग्य राजस्व से है परन्तु न्यायालय द्वारा लगाया गया सरदण्ड इसमें शामिल नहीं है ;
- (28) “आबकारी वृक्ष” में गुल, महुआ, नारियल, ताड़, पामयरा, खजूर, बेगानीया और डोड्डरसल वृक्ष या कोई अन्य वृक्ष जिसके किण्वित या न किण्वित रस में अल्कोहल होती है जिससे तोड़ी या कोई अन्य शराब तैयार की जा सकेगी ;
- (29) “निर्यात” का अर्थ दिल्ली से बाहर देश के भीतर किसी अन्य राज्य में ले जाने से है ;
- (30) “भारत के बाहर निर्यात” अपने व्याकरणिय भेदों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थ दिल्ली से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने से है ;
- (31) “अति निष्क्रिय अल्कोहल” का अर्थ केन्द्रीय सरकार के सम्वद्ध प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रिश्ट से है ;
- (32) “किण्वित शराब” का अर्थ किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त शराब है और इसमें शामिल बीयर, यक्सुरा, तेज शराब, तेज बीयर, पोर्टर, अंगूरी शराब (वाइन) पछवई किण्वित तरी तथा और कोई अन्य इसी प्रकार की शराब से है ;
- (33) “वित्तीय आयुक्त” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्तीय आयुक्त से है ;
- (34) “विदेशी शराब” का अर्थ भारत में भूतल मार्ग, सागर मार्ग या वायु मार्ग से आयतित किसी शराब से है ;
- (35) “सरकार” का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तथा अनुच्छेद 239 क क के अन्तर्गत पदनामित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल से है ;
- (36) “अवैध शराब” का अर्थ इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन करके विनिर्मित या भण्डार की गई या बेची गई किसी शराब से है ऐसी शराब जिस पर इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आरोप्य/उद्ग्राह्य उपयुक्त शुल्क या शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और इसमें ऐसी विदेशी शराब शामिल है जिस पर उपयुक्त सीमा शुल्क/कर का भुगतान नहीं किया गया है ;
- (37) “आयात” का अर्थ दिल्ली में भारत के किसी अन्य राज्य से लाने से है ;
- (38) “भारत में आयात” का अर्थ अपने व्याकरणिय भेदों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित भारत से बाहर किसी अन्य स्थान से दिल्ली में लाने से है ;

(39) “भारतीय शराब” से अर्थ आसवन की प्रक्रिया से या आसवन से प्राप्त अल्कोहल का प्रयोग करके भारत में निर्मित शराब से है जैसे विह्स्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिक्यूरस से है लेकिन इसमें देसी शराब किण्वित शराब शामिल नहीं है

(40) “मादक पेय” का अर्थ तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) कोई शराब ;

(ख) कोई रिप्रेट ;

(ग) कोई मादक औषध ;

(घ) इस प्रयोजन के लिये मादक औषध एवं स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आए पदार्थों को छोड़कर कुछ अन्य पदार्थ जो समय – समय पर सरकार द्वारा मादक घोषित किए जाने वाले पदार्थ हैं ;

(41) “मादक द्रव्य औषध” का अर्थ

(क) भांग के रूप में प्रसिद्ध भारतीय सण के पौधे के सूखे पत्ते, सिद्धि या पत्ती या सन्नाबी सत्व या इससे तैयार कोई पेय;

(ख) भांग, सिद्धि या पत्तीया सन्नाबीसा सत्व की प्राकृतिक सामग्री सहित या रहित कोई मिश्रण या इससे तैयार कोई पेय;

(42) “विधान सभा” का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा से है;

(43) “लाइसेंस” का अर्थ इस अधिनियम तथा इसके नियमों के अन्तर्गत बनाए गए किसी लाइसेंस से है ;

(44) “लाइसेंस प्राधिकारी” का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस परमिट तथा पास प्रदान करने, लम्बित करने तथा रद्द करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी से है ;

(45) “उपराज्यपाल” का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है ;

(46) “शराब” का अर्थ अल्कोहल युक्त कोई मादक पदार्थ है और इसमें विह्स्की, ब्राण्डी, बियर, अंगूरी शराब (वॉइन), टोडी, तरी पछुवई, वोडका, जिन, तेकुइला, देसी शराब, अरक, मादक तरल आते हैं। इस प्रकार के उन अन्य पदार्थों के अतिरिक्त जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सरकार अधिसूचना से घोषणा कर सकेगी, इनमें भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों में यथाविनिर्दिष्ट अल्कोहल हो या रखते हैं ;

(47) “बड़े एवं लघु अपराध”

(क) बड़े अपराध का अर्थ—

- (i) मिलावट करना ;
- (ii) शुल्क भुगतान किये बिना शराब की बिक्री ;
- (iii) शराब का अवैध निर्माण, कब्जा, ढुलाई, पारगमन तथा बिक्री ;
- (iv) मानवीय उपभोग के लिये विकृतिकारक रिपेट देना ;
- (v) शराब के साथ हानिकर द्रव्य मिलाना ;
- (vi) सीलबंद बोतलों के साथ छेड़छाड़ करना ;
- (vii) छोटे बच्चों (अव्यस्कों) को शराब बेचना ;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत शेष अपराध लघु अपराध होंगे;

(48) “निर्माणी” का अर्थ कोई शराब कारखाना, मद्य निर्माणशाला, अंगूरी शराब का कारखाना या कोई स्थापना जो आसवन, किण्वासवन, विनिर्माण सम्मिश्रण या बोतल भराई का कार्य करती है ;

(49) “विनिर्माण” की किसी प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं ;

(क) विनिर्मित मादक द्रव्यों/पदार्थों की सम्पूर्ति के लिए प्रांरागिक या सहायक है; अथवा

(ख) प्राकृतिक या अप्राकृतिक, जिसके द्वारा कोई मादक पदार्थ उत्पन्न या तैयार किया जाता है और पुनः आसवन भी और शराब का परिशोधन करने सुगन्ध युक्त, सम्मिश्रण करने या रंगदार बनाने की प्रत्येक प्रक्रिया ; अथवा

(ग) जो मादक पदार्थों से सम्बन्धित है जिसमें ऐसी वस्तु का बोतल की पैकिंग या पुनः पैकिंग या युनिट पैकेज या बोतलों पर युनिट पैकेज पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना जुड़े होते हैं, इसमें उस पर धोषणा या अधिकतम खुदरा मूल्य परिवर्तन शामिल है या ग्राहकों को बेचने के लिये मादकों सम्बन्धी किसी अन्य निरूपण को अपनाना;

व्याख्या— संदेह के निवारण के लिये इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में या दिल्ली में आयातित बोतलों या युनिट पैकेजों पर लेबल लगाने सम्बन्धी सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने को विनिर्माण के रूप में नहीं माना/समझा जाएगा ;

(50) “विनिर्माता” का अर्थ मादक पदार्थों का विनिर्माण करने वाला कोई व्यक्ति और केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 (1944 का 1) के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के अधीन अल्कोहल का कोई विनिर्माता शामिल है ;

(51) “शीरा” का अर्थ गुड़ या खाण्डसारी सहित चीनी, गन्ने से चीनी या गुड़ के विनिर्माण की अन्तिम अवस्था में उत्पादित भारी लसीला पदार्थ या अन्य अधिमिश्रण जब चीनी युक्त ऐसा तरल या किसी रूप में या अधिमिश्रण में हो जो किण्वित हो सकता हो ;

(52) “अधिकतम खुदरा मूल्य” का अर्थ वह अधिकतम मूल्य जिस मूल्य पर शराब अन्तिम उपभोक्ता को बेची जा सकेगी जिसमें सभी प्रकार के कर, भाड़ा, ढुलाई, प्रभार व्यापारियों के देय कमीशन या व्यापार का लाभांश शामिल है और विषणन डिलीवरी, पैकिंग, प्रेषण और इसी प्रकार के सभी प्रभार, जैसी भी स्थिति हो, से है ;

- (53) “अधिसूचना” का अर्थ इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए नियमों के अन्तर्गत और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना से है ;
- (54) “प्रभारी अधिकारी” का अर्थ कारखाने या भण्डागार सर्वेक्षण तथा नियंत्रण के लिये प्राधिकृत आबकारी अधिकारी से है ;
- (55) “पछवई” का अर्थ किण्वित चावल, बाजरा या अन्य अनाज तथा इससे प्राप्त तरल शामिल है , वाहे पतला या तनूकृत हो पतला न हो, लेकिन इसमें बियर नहीं होती है ;
- (56) “परमिट” का अर्थ अधिनियम तथा इस के अन्तर्गत बनाए गए नियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया कोई प्राधिकार-पत्र से है ;
- (57) “स्थल” जिसमें कोई स्थल, भवन, दुकान, बूथ, टेण्ट इन्कलोजर, वस्सल (बोट) नाव, रॉफ्ट और वाहन आते हैं ;
- (58) “थाना” का अर्थ कोई थाना जिसके क्षेत्राधिकार में कोई अन्य स्थान या स्थान हो जिसे सरकार , अधिसूचना से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये कोई थाना घोषित कर सके ;
- (59) “निर्धारित” इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है ;
- (60) “परिशोधन” में इसमें प्रत्येक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा स्प्रेट परिशुद्ध की जाती है या इसके साथ कोई पदार्थ मिलाकर रंगदार या सुगन्ध युक्त बनाया जाता है ;
- (61) “परिशुद्ध स्प्रेट” का अर्थ अविकृत अल्कोहल, पूर्ण अल्कोहल, अत्याधिक निष्क्रिय अल्कोहल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट जौ/थव से प्राप्त की गई अल्कोहल से है ;
- (62) “सम्बद्ध कानून” का अर्थ भारतीय पॉवर अल्कोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) मोटर स्प्रेट कराधान अधिनियम, औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ/उत्पादन शुल्क) अधिनियम , 1955 (1955 का 16) तथा मादक औषध एवं स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का 61) तथा आबकारी राजस्व से सम्बद्ध ऐसे अन्य अधिनियम, से हैं ;
- (63) “खुदरा मूल्य” का अर्थ मादक पदार्थों की बिक्री के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा नियत वे मूल्य, जिन मूल्यों पर लाइसेंसधारी मादक पदार्थ बेचने के लिये बाध्य हैं ;
- (64) “खुदरा विक्रय” का अर्थ किसी मूल्यवान प्रतिफल या बिना प्रतिफल के लिये या नहीं , खुदरा बिक्री की सीमाओं तक परिमाण में बिक्री करने से है ;
- (65) “विशेष शुल्क” का अर्थ किसी उत्पादन शुल्क योग्य किसी वस्तु के होने पर उसके आयात पर कर जिस पर संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 51 में यथावर्णित समकक्ष शुल्क केवल इसी आधार पर आरोप्य नहीं है कि ऐसी वस्तु उस राज्य क्षेत्र में विनिर्मित या उत्पादित नहीं की जा रही है जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है ;

- (66) “स्पिरिट” का अर्थ किररी आसवन प्रक्रिया से प्राप्त किया गया कोई अल्कोहल युक्त तरल से है ;
- (67) “स्पिरिट युक्त सम्पाक” का अर्थ है—
- (क) अल्कोहल युक्त कोई औषधीय या प्रसाधन पदार्थ ;
- (ख) कोई एण्टीरोप्टक पदार्थ या घोल अल्कोहल हो ;
- (ग) अल्कोहल युक्त कोई शुग्न्ध दायक अरक तत्व या सिरप ;
- (68) “भभका ” जो स्पिरिट के आसवन या विनिर्माण के लिये कोई उपकरण जिसमें इसका भाग भी शामिल है ;
- (69) “घटिया शराब” का अर्थ शराब जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर खरा नहीं उतरती है और इसमें इसके स्वरूप, पदार्थ या गुणवत्ता निम्न प्रकार प्रभावित होती है
- (क) स्वयं शराब या इसके पैकेज द्वारा जिससे यह बनी है , चाहे यह पूर्णतया या अंशतः विषैला या प्राणघातक पदार्थों से बनी हो;
- (ख) अस्वास्थ्यकर प्रकृति के आधार से या उस पदार्थ से होने, जो हानिप्रद पदार्थ है;
- (ग) कोई निकृष्ट या सस्ते पदार्थ मिलाने से चाहे यह पूर्णतः या अंशतः मिलाया जाए ;
- (घ) जो अनुमत्त पदार्थ नहीं, उस पदार्थ को सीधे या संघटक के रूप में मिलाने से;
- (ङ) इसके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किसी रंगदार पदार्थ/द्रव्य परिरक्षक के सिवाय किसी अन्य के होने से ;
- (च) कृमि, घुण या कीट की उपस्थिति से ;
- (छ) अस्वास्थ्यकारी स्थितियों में इसके निर्माण पैक या रखने के आधार पर , अथवा
- (ज) पतला करने से / तनूकृत करने से ;
- (70) “ताड़ी और तरी” का अर्थ किसी नारियल, पामरइया, खजूर या पान वृक्ष की किसी अन्य किस्म से प्राप्त कण्वित या अकण्वित जूस से है ;
- (71) “पारगमन” का अर्थ एक राज्य से दूसरे राज्य तक दिल्ली होकर जाने से है ;
- (72) “परिवहन” का अर्थ दिल्ली के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से है ;
- (73) “मूल्य संबंधित कर” का अर्थ संविधान की सातवी अनुसूची की राज्य सूची (दूसरी सूची) की प्रविष्टि 54 में संदर्भित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर से है ;
- (74) “भण्डागार” का अर्थ जो स्थान पर शराब के भण्डारण के लिये अनुमत्त है और इसमें कारखाने का सम्बद्ध भाग शामिल है;

- (75) “थोक बिक्री” का अर्थ उरा परिमाण में बिक्री है, जो खुदरा बिक्री की सीमा से अधिक है :
- (76) “अंगूरी शराब (वाइन)” का अर्थ चीनी या गुड़ सहित या रहित अंगूर या अन्य फलों के रस से किण्वित रस , जिसमें अल्कोहल स्वयं उत्पन्न होती है और इसमें तेज़ अंगूरी शराब शामिल है ;
- (77) “शराब की भट्टी” का अर्थ जहां पर अंगूरी शराब (वाइन) विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक स्थान शामिल है जहां पर वाइन भण्डारण की जाती है और जहां से यह जारी होती है ।

अध्याय—II

स्थापना एवं नियन्त्रण

3. आबकारी आयुक्त की नियुक्ति. — सरकार अधिसूचना से किसी अधिकारी को आबकारी आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है जो इस सम्बन्ध में सरकार के नियंत्रण एवं आदेशों के अधीन इस अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी विषयों में मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होंगे ।
4. आबकारी आयुक्त की शक्तियां एवं कर्तव्य. —आबकारी आयुक्त की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे :-
- (क) शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण का विनियमन, नियंत्रण एवं आवेक्षण, विनिर्माण कब्जा, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री तथा उपभोग करने के लिये ;
- (ख) शराब के अवैध व्यापार तथा अवैध आंसवन को नियंत्रित करना/प्रतिबन्धित करना;
- (ग) आबकारी राजस्व का बचाव करना और तीव्र वसूली सुनिश्चित करना ;
- (घ) इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों द्वारा यथा अपेक्षित आबकारी से सम्बन्धित सभी विषयों पर सरकार को विवरणियां तथा जानकारी प्रस्तुत करना;
- (ङ) समझदारी से शराब पीने को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के माध्यम से समाज की भलाई सुनिश्चित करना;
- (च) आबकारी प्रशासन के विभिन्न पहलूओं में ई गवर्नेंस प्रारम्भ करना ;
- (छ) निर्धारित प्रपत्र में इस अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करना ;
- (ज) समय-समय पर उन्हें सौंपे गए या प्रदत्त ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियां सौंपना ।

5. कुछेक अधिकारियों तथा स्टाफ की नियुक्ति. — सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्यों के पालन के प्रयोजन के लिये यथोचित ऐसे अपर आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, आबकारी निरीक्षकों तथा ऐसे अन्य अधिकारियों तथा स्टाफ की नियुक्ति कर सकती है ।
6. आबकारी आसूचना/गुप्तचर केन्द्र/ब्यूरो. — (1) ऐसा आबकारी आसूचना/गुप्तचर केन्द्र/ब्यूरो होगा जिसके अध्यक्ष आबकारी आयुक्त होंगे । इस केन्द्र/ब्यूरो में सरकार द्वारा यथा नियुक्त आबकारी अधिकारी तथा स्टाफ होगा और सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारी तथा स्टाफ होंगे ।
- (2) आबकारी आसूचना केन्द्र/गुप्तचर केन्द्र/ब्यूरो —
- (क) आबकारी सम्बन्धी अपराधों के लिये आसूचना/खबरें इकट्ठी करना, निगरानी रखना तथा जानकारी का रख रखाव करेगा ;
- (ख) प्रमुख आबकारी अपराधियों तथा हिस्ट्री शीटों सम्बन्धी सूचना संग्रह करके देगा;
- (ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की खोज करना खोज को मॉनीटर करना तथा छानबीन करेगा ।
7. आबकारी प्रशासन. —(1) उपायुक्त लाइसेंस प्राधिकारी होंगे जो आबकारी आयुक्त के नियंत्रण एवं देखरेख के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों को निभाएंगे ।
- (2) उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे उन दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे जिन्हें सरकार समय-समय पर नियन्त्रणाधीन ऐसे निर्देश दे सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या अधीन सौंपे गए हैं ।
- (3) सहायक आयुक्त तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारीगण उपायुक्त के कर्तव्यों के पालन में उनकी सहायता करेंगे ।
8. शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं प्रत्याहार / वापिस लेना. —(1) सरकार प्रत्यायोजन आदेश में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन आबकारी आयुक्त को अपनी शक्तियां सौंप सकती है ।
- (2) आबकारी आयुक्त एवं उपायुक्त प्रत्यायोजन आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन किसी अधीनस्थ अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियां आदेश से सौंप सकते हैं ।
- (3) आबकारी आयुक्त या उपायुक्त जैसी भी स्थिति हो आदेश द्वारा किसी अधिकारी या व्यक्ति से उसको प्रत्यायोजित कोई या सभी शक्तियां वापिस ले सकता है ।

9. विशेष शक्तियों सहित व्यक्तियों को नियुक्त करना. — सरकार अधिसूचना से किसी उस सरकारी पदाधिकारी को जो कोई आबकारी अधिकारी नहीं है इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी आबकारी अधिकारी के सारे या कुछ कर्तव्यों के पालन के लिये शक्तियां सहित नियुक्त कर सकते हैं और ऐसा व्यक्ति इन कर्तव्यों के प्रयोग में आबकारी अधिकारी माना जाएगा।
10. मादक पदार्थों और वाहनों आदि की ज़ब्ती के लिये पुरस्कार. — आबकारी आयुक्त मादक पदार्थ उपकरणों तथा ऐरो मादक पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहनों की बिक्री से एकत्रित की गई राशि में से या अन्य प्रकार से आबकारी अधिकारियों को तथा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे कार्य के लिये ऐसे मुखबिरों / भेदिए को पुरस्कार दे सकते हैं।

अध्याय—III

मादक पदार्थों के विनिर्माण, स्वत्व, बिक्री आदि के लिये लाइसेंस एवं प्रभार

11. मादक पदार्थों के आयात, निर्यात, परिवहन/ढुलाई, विनिर्माण, स्वत्व, बिक्री आदि पर प्रतिबन्ध. — (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र तथा लाइसेंस या अभीष्ट पत्र या परमिट की शर्तों के सिवाय/बिना कोई कारखाने/निर्माणा या भण्डागार का निर्माण या स्थापना, किसी मादक पदार्थ की बोतल, आयात, निर्यात, परिवहन पारगमन, विनिर्माण, संग्रह, स्वत्व, विक्रय या क्रय या इसका प्रयोग, किसी मादक पदार्थ के विनिर्माण के लिये किसी सामग्री चाहे जो भी हो, भभका, बर्तन, औजार, उपकरण, लेबल, कॉर्क, कैप्सूल या सील को पारा या स्वत्व अधिकार में नहीं रखेगा।

(2) इसके प्रिन्टर या विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकार में लेबल, कॉर्क या कैप्सूल अवैध नहीं माने जाएंगे और इस धारा के अधीन अपराध नहीं माना जाएगा यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी मादक पदार्थ बनाने के लिये लाइसेंसधारी के प्राधिकार पत्र के अधीन मुद्रित या विनिर्मित हो।

12. अभीष्ट पत्र लाइसेंस या परमिट देना. — इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अभीष्ट-पत्र, लाइसेंस या परमिट ऐसी फीस के भुगतान करने, ऐसी अवधि के लिये और यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिबन्धों, शर्तों के अधीन और ऐसे फार्म में तथा ऐसे विवरण सहित प्रदान किया जाएगा।
13. लाइसेंस प्रदान करने के लिये योग्यताएं. — (1) लाइसेंस या परमिट प्रदान करने के लिये किसी आवेदन पत्र पर विचार करते समय लाइसेंस प्राधिकारी ध्यान रखेगा कि आवेदक —

(क) भारत का एक नागरिक है;

(ख) कोई बूककर्ता, या काली सूची में नहीं है या आबकारी लाइसेंस रखने के लिये विवर्जित है;

(ग) रादाचरण का स्वामी है तथा कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है या इस अधिनियम या किसी अन्य सम्बद्ध अधिनियम के अन्तर्गत किसी दण्डनीय अपराध के लिये सिद्धदोषी नहीं है।

शर्त यह है कि यदि वह लाइसेंसधारी के रूप में चुन लिया जाता है, तो लाइसेंस के प्रदान होने के तीस दिन के भीतर उस जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस

आयुक्त द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह रहता है जिसमें यह उल्लेख हो कि सदाचरण का स्वामी है और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि का या अपराधिक अभिलेख नहीं है ;

(घ) कोई सरकारी या सार्वजनिक देनदारियों का बकाया नहीं है; और

(ङ) मालदार/सुस्थित है और व्यापार चलाने के लिये उसके पास आवश्यक धनराशि है या इसके लिये उसने प्रबन्ध किये हैं :

शर्त यह है कि यदि आवश्यक हो, तो इस धनराशि के ब्यौरे लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जाएंगे ;

(च) लाइसेंस के लिए उपयुक्त परिसर हो या किराये पर लेने के लिये व्यवस्था हो और ऐसा परिसर किसी कानून का उल्लंघन करके न निर्मित किया गया हो ;

(छ) वह किसी सेल्ज मेन या प्रतिनिधि को काम पर नहीं रखेगा जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो या किसी छूत तथा संकामक रोग से पीड़ित हो या उसकी आयु ईक्कीस वर्ष से कम हो।

(2) यदि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कोई प्रलेख झूठा या नकली पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

14. प्रतिभूति लेने या प्रतिस्थानी करार के लिये शक्ति. — यथानिर्धारित नियमों के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण/प्राधिकारी लाइसेंसधारी से अपेक्षा कर सकता है :-

(क) अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के लिये प्रतिभूति देना;

(ख) अपने लाइसेंस की सही प्रतिलिपि के अनुरूप प्रतिस्थानी करार निष्पादित करना।

15. लाइसेंस तथा परमिट की तकनीकी त्रुटियां. —(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया कोई लाइसेंस या परमिट गैर, या इसको प्रदान करने से पूर्व आयोजित किसी कार्यवाही में केवल किसी तकनीकी त्रुटि, अनियमिता या भूल चूक के आधार अवैध नहीं समझा जाएगा।

(2) कौन सी तकनीकी त्रुटि, अनियमिता या भूल चूक है, उसके सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

16. लाइसेंस या परमिट का (प्रत्याहार) या वापिस लेना. —(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत जिस प्राधिकारी ने कोई लाइसेंस या परमिट प्रदान किया है, जब कभी वह समझते हैं कि ऐसा लाइसेंस या परमिट किसी आधार पर/कारणवश वापिस लिया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय सम्बन्धी नोटिस देकर पंद्रह दिन बीतने के बाद ऐसा कर सकते हैं या अभिलेख किए जाने वाले कारणों के आधार पर तत्काल कर सकते हैं।

(2) यदि किसी लाइसेंस या परमिट का प्रत्याहार किया जाता है तो लाइसेंसधारी या परमिटधारी द्वारा अग्रिम में भुगतान किए गए शुल्क या जमा कराई गई राशि सरकार द्वारा वसूलनीय राशि की कटौती करने बाद लौटा दी जाएगी।

17. लाइसेंस तथा परमिट स्थगित करने या रद्द करने की शक्ति.—(1) सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस या परमिट प्रदान करने वाला प्राधिकारी सुनवाई का यथोचित अवसर देने के उपरांत निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर इसे स्थगित या रद्द कर सकते हैं :-

(क) यदि लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाइसेंस या परमिट के धारक द्वारा इसे हस्तान्तरित या भाड़े पर दिया जाता है;

(ख) यदि इसके धारक द्वारा देय उत्पाद राजस्व का विधिवत् भुगतान नहीं किया जाता है ;

(ग) ऐसे लाइसेंस या परमिट के धारक द्वारा या उसके नौकर द्वारा या उसकी ओर से किसी कार्यवाहक द्वारा, उसकी ध्वनित/अन्तर्निहित अनुमति सहित ऐसे लाइसेंस या परमिट की शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में ;

(घ) यदि लाइसेंस या परमिट का धारक या उसका एजेंट या कर्मचारी इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी उस दण्डनीय अपराध के लिये सिद्धदोषी है जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित आबकारी विषयों से या किसी अन्य सम्बद्ध कानून के अन्तर्गत किसी संज्ञेय या गैर जमानती अपराधों से सम्बद्ध या जुड़ा हो ;

(ङ) यदि लाइसेंस या परमिट जिस प्रयोजन के लिये दिया गया है, वह प्रयोजन समाप्त हो जाता है ;

(च) यदि लाइसेंस या परमिट, अपने झूठे अभ्यावेदन पत्र से या जालसाजी से प्राप्त किया गया हो ।

(2) जब कोई लाइसेंस या परमिट उपधारा (1) के अन्तर्गत रद्द किया जाता है तो पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम या आबकारी राजस्व से सम्बद्ध किसी अन्य कानून के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को प्रदान किए गए किसी अन्य लाइसेंस या परमिट को रद्द कर सकते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस के निरसन या स्थगन की स्थिति में, जिस शेष अवधि के लिये शुल्क देय है, उस अवधि के लिये कोई लाइसेंस बना रहेगा लेकिन ऐसे निरसन या स्थगन के लिये निवर्तमान लाइसेंसधारी से आबकारी राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।

(4) कोई लाइसेंसधारी या परमिटधारी इसके निरसन या स्थगन के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा और न ही इस संबंध में भुगतान किए गए या जमा कराए गए शुल्क की वापसी के लिये पात्र होगा ।

18. नवीनीकरण के अधिकार के लिये तथा क्षतिपूर्ति के लिये रोक. — जिस व्यक्ति को कोई लाइसेंस या परमिट प्रदान किया गया है वह इसके किसी नवीनीकरण दावे के लिये पात्र नहीं होगा, और जिस अवधि के लिये कोई लाइसेंस या परमिट प्रचलन में रहता है उस अवधि के बीतने पर किसी लाइसेंस या परमिट (उसके) किसी प्रकार के अस्वीकरण के परिणाम स्वरूपक्षति या अन्याथा के लिये कोई दावा नहीं होगा ।

19. लाइसेंस सौंपना : इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए किसी लाइसेंस का धारक अपना लाइसेंस, यदि ऐसा सौंपा जाना है, तो जितनी जिस अवधि के लिये यह बना रह सकेगा उस पूरी अवधि के लिये लाइसेंस के देय शुल्क के भुगतान करके यह सौंपने सम्बन्धी अपने आशय के लाइसेंस प्राधिकारी को एक माह की नोटिस अवधि समाप्त होने के सिवाय नहीं सौंपेगा :

शर्त यह है कि यदि लाइसेंसधारी संतुष्ट है कि लाइसेंस को सुपुर्द करने के पर्याप्त आधार है तो वह सौंपने पर इसके धारक को इस प्रकार देय राशि या इसके किसी भाग को लौटा सकते हैं ।

20. लाइसेंस या परिमिट का अंतरण. — इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया लाइसेंस या परिमिट, यथा निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी को पूर्व अनुमोदन के बिना हस्तान्तरणीय नहीं है ।

21. विनिर्माण आदि के अनन्य विशेषाधिकार देना. — इस अधिनियम के उपबन्धों तथा यथानिर्धारित शर्तों के अधीन सरकार, किसी व्यक्ति को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्माण के अनन्य विशेषाधिकार, थोक में पूर्ति करने तथा खुदरा बिक्री के लिये, प्रदान कर सकती है ।

22. शुल्क भुगतान करने पर निर्माणी, भण्डागार आदि से शराब हटाना. — इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी कारखाने, गण्डारण या अन्य स्थान से कोई भी शराब सम्बन्ध पास के बिना और देय ड्युटी या शुल्क के भुगतान होने तक, या इसके भुगतान के लिये यथा निर्धारित किसी बन्धपत्र के निष्पादन होने तक, नहीं उठाई जाएगी ।

23. कुछेक व्यक्तियों को शराब बिक्री गना करना. — कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसशुदा विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट पच्चीस वर्ष की आयु से कम दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शराब नहीं बेचेगा या सौंपेगा चाहे उसने रवयं या दूसरों ने पीनी हो ।

24. कुछेक व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध. — कोई भी लाइसेंसधारी अपने परिसर में ईककीस वर्ष से कम या छूट रोग से पीडित किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नियुक्ति किए जाने के लिए अनुमति नहीं देगा ।

25. सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये दुकानें बंद रखना. — उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लाइसेंसधारी को लिखित में नोटिस देकर जिस दुकान में कोई शराब बेची जाती है, सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये उतने समय के लिये या जिसना समय वह आवश्यक समझते हैं उतने समय के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकते हैं :

शर्त यह है कि लाइसेंस वर्ष मिलाकर कुल पंद्रह दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी या किसी एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी :

आगे यह शर्त और है कि यदि आबकारी आयुक्त का अभिमत है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष दुकान या सारी दुकानें किसी वर्ष में पन्द्रह दिन से अधिक अवधि या एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक अवधि के लिए बन्द रहेंगी, तो वह अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं ।

अध्याय —IV

आबकारी राजस्व

26. आबकारी राजस्व के सघटक एवं प्रकृति. —निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आबकारी राजस्व लगाकर वसूल किया जाएगा, अर्थात् :-
- (क) शुल्क ;
 - (ख) लाइसेंस शुल्क ;
 - (ग) लेबल पंजीरकण शुल्क ;
 - (घ) आयात तथा निर्यात शुल्क ।
27. उत्पाद शुल्क, समकक्ष शुल्क तथा विशेष शुल्क.—(1) सभी उन मादक पदार्थों पर यथा निर्धारित उन दरों पर जो सूची में उल्लिखित दरों से अधिक न हो शुल्क लगाकर वसूल किया जाएगा जो दिल्ली में उत्पादित विनिर्गित दुलाई या आयात किए जाते हैं ।
- (2) शर्तों के रूप तथा लाइसेंस परमिट तथा पास की अवधि के लिये शुल्क लगाकर एकत्रित किया जाएगा ।
- (3) धारा 27 की उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए खुदरा मूल्य की गणना में शुल्क इस प्रकार बढ़ाया जाए और गणना की जाए कि खुदरा मूल्य दस रुपये के अगले उच्च गुणक तक बढ़ाया जाए, जो सरकार द्वारा अधिरूचित हो और इस प्रकार बड़ी ड्युटी (शुल्क) निर्धारित पद्धति से सरकार द्वारा वसूल की जाएगी ।
28. अलग-अलग शुल्क करने के लिये सरकार की शक्ति. —(1) जहां, किसी मादक पदार्थ के सम्बन्ध में सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत उस पर लगाई जा सकने वाली ड्युटी बढ़ाई या घटाई जानी चाहिए और इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं जो तत्काल कार्रवाई करने के लिये इसे आवश्यक बनाती हैं, तो सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से अनुसूची में किए जाने वाले संशोधन सम्बन्धी निर्देश दे सकते हैं ताकि ऐसे मादक पदार्थ के सम्बन्ध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट ड्युटी की दर के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सके ।
- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के बाद यथाशीघ्र यदि सत्र जारी है और यदि सत्र जारी नहीं है तो उसके आगामी सत्र के प्रारम्भ होने के सात दिन की अवधि के भीतर विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी और विधानसभा के समक्ष अधिसूचना रखे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर एक संकल्प प्रस्तुत करके सरकार अधिसूचना के लिये विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त करेगी । यदि विधान सभा अधिसूचना में कोई संशोधन करती है या निर्देश देती है कि अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए इसके पश्चात् अधिसूचना केवल ऐसे आशोधित रूप में भी प्रभावी होगी या कोई प्रभावी नहीं होगी जैसी भी स्थिति हो, लेकिन इसके अन्तर्गत पहले कुछ किए गए की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

29. ड्युटी तथा चूककर्ता की सम्पत्ति पर अन्य उपकरणों तथा इसके स्थान पर करों की वसूली. —(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को देय सारा आबकारी राजस्व इस के भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति से या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों से या उसके प्रतिभू या उसके एजेण्ट से वसूल किया जाएगा मानों यह भूराजस्व का बकाया है ।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी लाइसेंसशुदा व्यक्ति द्वारा आबकारी राजस्व या अन्यथा के भुगतान में चूक की स्थिति में, उसका कारखाना, मण्डागार, दुकान या परिसर तथा सारी फिटिंग, उपकरण इसके विनिर्माण के लिए शराब या सामग्री का स्टॉक इसमें रखे हुए मान्य आबकारी राजस्व के या ऐसी चूक से सरकार को हुई हानि के सम्बन्ध में किसी दावे के लिये कुर्की की जाएगी और ऐसे उस दावे के अनुरूप बेची जाए जो ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि का प्रथम व्यय होगा ।

(3) जहां देय शुल्क (ड्युटी) नहीं उगाहा गया या भुगतान नहीं किया गया या कम उगाही की गई या कम भुगतान किया गया या त्रुटि पूर्ण लौटाई गई हो

(क) सहायक आयुक्त सम्बद्ध तिथि से चार वर्ष के भीतर उस व्यक्ति को नोटिस तामील किया जाए जिससे ड्युटी/शुल्क वसूलनीय है, जिससे ड्युटी/शुल्क उगाहा या भुगतान नहीं किया गया जिससे कम शुल्क उगाहा गया या कम भुगतान किया गया या जिस को मूलवश लौटाया गया, उसे कारण बताने चाहिए कि उसके नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान क्यों करना चाहिए ;

व्याख्या 1.— जहां नोटिस की तामिली न्यायालय के किसी आदेश से स्थगित की गई है ऐसे स्थगन की अवधि को पूर्वोक्त चार वर्ष की अवधि की गणना करते हुए घटाया जाएगा ।

व्याख्या 2.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये “सम्बद्ध तिथि” का अर्थ —

(i) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत भुगतान किए जाने वाले शुल्क की उस तिथि से है जिसको उन मादक पदार्थों की स्थिति में जिन पर शुल्क उगाहा या भुगतान नहीं किया गया है या कम उगाहा या भुगतान किया गया हो ;

(ii) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत अस्थाई रूप से निर्धारित शुल्क की स्थिति में इसके अन्तिम निर्धारण शुल्क की स्थिति में इसके अन्तिम निर्धारण के बाद शुल्क के समयोजन की तिथि ;

(iii) मादक पदार्थों की स्थिति में, जिस तिथि को शुल्क गलती/मूलवश लौटाया गया है, उसे लौटाने की तिथि ;

(ख) सहायक आयुक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को नोटिस तामिल किया गया है उस व्यक्ति द्वारा, यदि कोई, दिये गये अभ्यावेदपत्र पर विचार करने के उपरान्त, ऐसे व्यक्ति के शुल्क की देय राशि (नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं हो) का निर्धारण करेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान करेगा ।

30. आबकारी राजस्व के भुगतान करने में विफल रहने पर देय ब्याज. —यदि इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा देय आबकारी शुल्क यथासमय भुगतान नहीं किया जाता है तो वह देय राशि पर, जिस तिथि को यह भुगतान देय हो जाता है, उस तिथि से अगले दिन से बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के भुगतान के प्रति उत्तरदायी होगा ।

व्याख्या.—जहां अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा भुगतान किये जाने योग्य शुल्क घटाया या बढ़ाया जाता है वहां आबकारी राजस्व की ऐसी घटी या बढ़ी दर पर ब्याज देय होगा ।

31. कुछेक मामलों में ब्याज कम करना या समाप्त करने की शक्ति. —इस अधिनियम में कुछ भी रहते हुए आबकारी आयुक्त, किसी व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये आवेदन पर सरकार के अनुमोदन सहित और ऐसा करने के लिये अपने कारण को अभिलेखबद्ध करने के उपरांत इस अधिनियम के अन्तर्गत देय ब्याज की किसी राशि को कम या समाप्त कर सकते हैं, यदि वह संतुष्ट है कि

(क) ऐसा किया जाए अन्यथा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को वास्तव में कठिनाई होगी ; और

(ख) व्यक्ति ने अपने द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिये किसी कार्रवाही में सहयोग किया है ।

32. लेखे तथा विवरणियां.—प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे लेखे बनाएगा तथा उन पर ऐसे फार्मों में ऐसी विवरणियां प्राधिकृत अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जिनमें स्टॉक, उपकरण सरकार को देय तथा भुगतान किये गए शुल्क तथा फीस तथा यथानिर्धारित ऐसे समयान्तराल पर ऐसी अन्य जानकारी होगी ।

अध्याय—V

अपराध एवं दण्ड

33. अवैध आयात, निर्यात, दुलाई विनिर्माण स्वत्व/स्वामित्व, विक्रय आदि के लिए दण्ड.— जो कोई इस अधिनियम या बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों का या जारी अधिसूचना का या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया किसी लाइसेंस, परमिट या पास के उपबन्धों का उल्लंघन करता है —

(क) किसी मादक पदार्थ का विनिर्माण, आयात, निर्यात, दुलाई करता है या हटाता है ;

(ख) किसी कारखाने या भण्डागार का निर्माण करता है या बनाता है ;

(ग) बिक्री के प्रयोजनों के लिये किसी शराब को बोतल में भरता है ;

(घ) तौंडी या तरी के अतिरिक्त किसी मादक पदार्थ के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिये, किसी सामग्री, भभके, बर्तन, औज़ार या उपकरण, चाहे जो भी हो, प्रयोग करता है, रखता है या अपने अधिकार में रखता है ;

(ङ) सरकारी लोगो सहित या रहित किसी सामग्री या फिल्म या किसी राज्य का लोगो या पेपर या कोई अन्य वस्तु जिसमें शराब पैक की जा सकेगी या किसी शराब की पैकिंग के प्रयोजनार्थ कोई उपकरण या औज़ार या मशीन रखता है ;

(च) कोई मादक पदार्थ बेचता है, निर्धारित परिमाण से अधिक कोई मादक पदार्थ संग्रह करता है, रखता है या खरीदता है ;

वह कारावास दण्ड जो छः माह से कम अवधि के लिये नहीं होगा, लेकिन यह तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा अर्थदण्ड जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन यह एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है सहित दण्डनीय होगा ।

34. विकृत स्प्रिट को मानवीय उपभोग के लिये उपयुक्त रूपांतरित करने के लिये दण्ड. —जो कोई भी किसी स्प्रिट, जो विकृत हो चुकी है, को मानवीय उपभोग के लिये उपयुक्त में रूपांतरित करता है या रूपांतरित करने का प्रयत्न करता है, या उसके स्वामित्व में कोई स्प्रिट है जिसके सम्बन्ध में वह जानता है या भरोसे योग्य कारण है कि ऐसा प्रयत्न किया गया है जिसके लिये वह कम से कम दो वर्ष के कारावास दण्ड लेकिन जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा अर्थदण्ड जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है सहित दण्डनीय होगा ।

35. शराब में हानिकर पदार्थ मिलाने के लिये दण्ड. —जो कोई बेची गई या विनिर्मित या अपने कब्जे वाली किसी शराब के साथ कोई उस घातक औषध या किसी उस विदेशी संघटक के साथ मिलता है या मिलाने/मिश्रित करने की अनुमति देता है जिससे अपंगता या गंभीर चोट या मानव की मृत्यु होने की संभावना है वह दण्डनीय होगा

(क) यदि ऐसे किसी कृत्य के कारण मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकेगा ;

(ख) यदि ऐसे किसी कृत्य के परिणामस्वरूप अपंगता या गंभीर क्षति होती है तो कम से कम छः वर्ष के कारावास दण्ड लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकेगा;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अन्य परिणामी चोट लगती है तो कारावास दण्ड जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है और अर्थदण्ड जो दो लाख पचास हजार रुपये तक बढ़ सकता है ;

(घ) यदि ऐसे किसी कृत्य के परिणामस्वरूप कोई चोट नहीं आती है तो कारावास दण्ड जो छः माह तक बढ़ सकता है और अर्थदण्ड जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है ।

व्याख्या. इस धारा के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति “गंभीर चोट” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 320 में उसे प्रदान किया गया है ।

36. क्षतिपूर्ति भुगतान के लिये आदेश. —(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी रहते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई आदेश पारित करते समय न्यायालय यदि संतुष्ट है कि किसी स्थान में बेची गई शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या चोट आई है तो वह विनिर्गता या विक्रेता को, चाहे किसी अपराध के लिये वह सिद्धदोषी है या नहीं, प्रत्येक मृतक के कानूनी उत्ताधिकारियों को कम से तीन लाख रुपये की राशि या जिस व्यक्ति को गंभीर चोट आई है तो उस व्यक्ति को दो लाख रुपये की राशि या किसी अन्य परिणामी चोट के लिये व्यक्ति को बीस हजार रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिये आदेश कर सकता है :

शर्त यह है कि यदि शराब किसी लाइसेंसशुदा दुकान से बेची गई है , तो इस धारा के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भुगतान के प्रति दायित्व लाइसेंसधारी का होगा ।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील प्रस्तुत कर सकता है :

शर्त यह है कि दोषी द्वारा कोई भी अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय में उसके द्वारा उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश सम्बन्धी भुगतान की जाने वाली राशि जमा न कराई गई हो :

आगे यह शर्त और है कि उच्च न्यायालय नब्बे दिन की उक्त अवधि बीतने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को यथासमय अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण से रोका गया था ।

37. नकली शराब बेचने के लिये दण्ड.—जो कोई जिसे वह जानता है कि वह भारतीय शराब है या उसके भारतीय शराब होने के लिये विश्वास योग्य कारण है, विदेशी शराब के रूप में बेचता है या रखता या प्रदर्शित करता है, वह कारावास सहित दण्डनीय होगा जो छः माह तक बढ़ सकता है और अर्थदण्ड, जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है ।

38. अवैध रूप से आयातित, बिना शुल्क भुगतान आदि के लिए शराब के रखने पर दण्ड.—जो कोई अपने पास शराब रखता है जिसके बारे में जानता है कि यह अवैध रूप से आयात, ढुलाई या विनिर्मित है या जानता है कि इस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, वह कारावास दण्ड जो छः माह तक बढ़ सकता है और अर्थदण्ड जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है सहित दण्डनीय है ।

39. केमिस्ट की दुकान पर शराब सेवन/पीने के लिये दण्ड.—(1) यदि कोई केमिस्ट (औषधि विक्रेता), औषध विक्रेता, औषधकार या किसी औषधालय का स्वामी उस शराब को अपने व्यापार परिसर पर किसी व्यक्ति को सेवन किए जाने के लिये छूट देता है , जो वास्तव में औषधीय प्रयोजनों के लिये औषधि युक्त नहीं है , वह अर्थदण्ड सहित दण्डनीय होगा जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है ।

(2) यदि कोई ऐसी परिसर पर किसी ऐसी शराब का सेवन करता है, तो वह अर्थदण्ड सहित दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है ।

40. सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन के लिये दण्ड.—जो कोई अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए नियमों, अधिसूचना, अथवा आदेश का उल्लंघन करता है -

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता है ;

(ख) किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर शोर शराबा करता है ;

(ग) शराब स्थापना के परिसर पर शराब पीने की अनुमति देता है या असामाजिक तत्वों को इकट्ठे होने की अनुमति देता है, वह दण्डनीय होगा,

(1) खण्ड (क) के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी अपराध की स्थिति में पांच हजार रुपये तक का अर्थदण्ड ;

(2) खण्ड (ख) के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी अपराध की स्थिति में, तीन माह तक के कारावास सहित और दस हजार रुपये तक का अर्थदण्ड ;

(3) खण्ड (ग) के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी अपराध की स्थिति में कारावास के दण्ड सहित जो छः माह तक बढ़ सकेगा और पचास हजार रुपये तक अर्थदण्ड ।

41. अवैध विज्ञापन के लिये दण्ड.—जो कोई किसी शराब के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई विज्ञापन, मुद्रित, प्रकाशित करता या देता है कारावास सहित दण्डनीय होगा, जो छः माह तक बढ़ सकता है या अर्थदण्ड सहित जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों सहित ।

परन्तु यह धारा कैंट लॉग या मूल्य सूची तथा उपभोक्ता/ग्राहकों की जानकारी तथा शिक्षा देने के लिए विक्री स्थलों पर प्रदर्शित करने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से अनुमोदित विज्ञापन पर लागू नहीं होगी ।

42. अव्यस्कों को नियुक्त करने के लिये और अव्यस्कों को शराब बेचने के लिये दण्ड.— (1) यदि कोई लाइसेंसधारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को शराब बेचता या पूर्ति करता है, जो पच्चीस वर्ष की आयु से कम दिखाई देता है तो वह अर्थदण्ड सहित दण्डनीय होगा जो दस हजार तक बढ़ सकता है ।

(2) यदि कोई लाइसेंसधारी इक्कीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो वह किसी अवधि के कारावास सहित दण्डनीय होगा जो तीन माह तक बढ़ सकता है या दण्ड सहित जो पचास हजार तक बढ़ सकता है या दोनों सहित ।

43. आक्रमण / प्रहार तथा बाधा के लिये दण्ड.— भारतीय दण्ड सहित, 1860 (1860 का 45) में कुछ भी रहते हुए किसी आबकारी अधिकारी को अपने शासकीय कार्यों के निष्पादन में प्रहार या प्रहार करने के लिये धमकी देने वाला या बाधा डालने या बाधा डालने के लिये प्रयत्न करने वाला कोई व्यक्ति किसी अवधि के लिये कारावास सहित दण्डनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है तथा अर्थदण्ड सहित जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है ।

44. नियोक्ता के कर्मचारी या एजेण्ट द्वारा किए गये अपराध के लिये नियुक्ता का दायित्व.—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए किसी लाइसेंस या परमिट को धारण तथा वास्तविक अपराधी या उसके कर्मचारी या उसके एजेण्ट द्वारा किए गए किसी अपराध के लिये तब तक

उत्तरदायी समझा जाएगा जब तक वह यह सिद्ध नहीं करता है कि ऐसे अपराध के घटित होने को रोकने के लिये उसके द्वारा यथेचित तथा युक्तिसंगत चेतावनियां बरती गई हैं ।

45. एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिये विनिर्माण बिक्री या स्वामित्व के लिये दण्ड.—(1) जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिये कोई मादक पदार्थ विनिर्मित, बेचा गया है और ऐसा व्यक्ति जानता है या विश्वास योग्य कारण है कि ऐसा विनिर्माण या बिक्री उसके नाम पर थी या ऐसा स्वत्व उसके नाम पर है तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मादक पदार्थ ऐसे दूसरे व्यक्ति के लिये विनिर्मित या बेच लिये मान लिये जाएंगे अथवा स्वामित्व में मान लिये जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) का कुछ भी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जो कोई व्यक्ति मादक पदार्थ विनिर्मित करता है, बेचता है या रखता है, वह ऐसे अवैध विनिर्माण, विक्रय या स्वत्व के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार के दण्ड के भागी होने से मुक्त नहीं होगा ।

46. शुल्क या फीस के न भुगतान करने के लिये दण्ड.—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई शुल्क या फीस के भुगतान के प्रति विफल रहता है तो वह कारावास के दण्ड सहित दण्डनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है और अर्धदण्ड सहित भी जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है ।

47. किसी अपराध के घटित होने के लिये प्रयुक्त होने वाले परिसर आदि की अनुमति देने के लिये दण्ड.— इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाइसेंसधारी होने पर तथा किसी मकान, कमरे, अहाते, स्थान, पशु या सवारी का नियंत्रण या प्रयोग रखने वाला जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति को प्रयुक्त किये जाने के लिये जान बूझकर अनुमति देने वाला है, उसी प्रकार दण्डनीय होगा मानो उसने स्वयं उक्त अपराध किया है ।

48. कोई अपराध करने के लिये प्रयत्न का दण्ड.— इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध कर देने के लिये प्रयत्न करता है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के लिये निर्धारित दण्ड से आधे दण्ड के लिए भागी होगा ।

49. अनावश्यक तलाशी, जब्ती तथा नजरबंदी या गिरफ्तारी के लिये आवकारी अधिकारी को दण्ड.— कोई आवकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो अनावश्यक और गैर जरूरी संदेह के आधार पर —

(क) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग की आड़ में किसी बंद स्थान में प्रवेश या तलाशी करता है या प्रवेश करवाता है या तलाशी करवाता है ;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत समपहरण योग्य/जब्ती योग्य किसी वस्तु की जब्ती या तलाशी के बहाने किसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति की जब्ती करता है ;

(ग) किसी व्यक्ति की तलाशी, नजरबंदी या गिरफ्तारी करता है ;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विधि सम्मत शक्तियों से अधिक शक्तियों का किसी अन्य प्रकार से प्रयोग करता है ;

वह कारावास के दण्ड का भागी होगा जो तीन माह तक बढ़ सकता है या अर्थदण्ड सहित जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों ।

50. कर्तव्य करने के लिये मना करने वाले आबकारी अधिकारी को दण्ड.—कोई आबकारी अधिकारी जो अपने पद के दायित्वों को विधि सम्मत आधार के बिना पालन करने के लिये मना करता है या से विमुख हो जाता है, या जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा लिखित में ऐसा करने के लिये स्पष्टतः अनुमत्त न हो, या जब तक उसने ऐसा करने के लिये अपने इरादे की लिखित में दो माह की सूचना अपने सरकारी वरिष्ठ अधिकारी को न दी हो, या वह कायरता का दोषी है, वह कारावास सहित दण्डनीय होगा जो तीन माह तक बढ़ सकता है या अर्थदण्ड सहित जो पांच हजार तक बढ़ सकता है या दोनों सहित।
51. न उपबन्धित अपराधों के लिए दण्ड.—जो कोई इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम या आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके कोई कृत्य करता है और ऐसे उल्लंघन के लिये किसी प्रकार से कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं है, वह किसी अवधि के लिये कारावास सहित दण्डनीय होगा जो छः माह तक बढ़ सकता है या अर्थदण्ड सहित जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों सहित।
52. कृच्छक प्रकरणों में अपराधों के घटित होने सम्बन्धी परिकल्पना/अनुमान.— (1) धारा 33 के अन्तर्गत अभियोग में जब तक प्रतिकूल शिद्ध नहीं हो जाता है तब तक यह मान लिया जाएगा कि दोषी व्यक्ति ने इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो उसने किसी उस मादक पदार्थ, शराका, बर्तन, औजार या उपकरण के स्वामित्व के सम्बन्ध में है, जिस के बारे में वह रातोरात स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है।
- (2) जहां पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध करने में कोई पशु या छकड़ा या अन्य वाहन प्रयुक्त किया गया है और यह समपहरण योग्य/जुबली योग्य है और इसका स्वामी ऐसे अपराध के लिये दोषी मान लिया जाएगा और ऐसा स्वामी जब तक वह न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है कि उसने ऐसे किसी अपराध को रोकने के लिये यथोचित ध्यान रखा है तब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दण्डित किया जाएगा।
53. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के उपरांत दण्ड में बढ़ोतरी.—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने के उपरांत इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध करता है और सिद्धदोषी पायाजाता है तो वह प्रथम दोषसिद्ध के लिये उपबन्धित दण्ड से दुगुने दण्ड का भागी होगा।
54. विनिर्माता आदि पर मुकदमा चलाने के लिये न्यायालय की शक्ति.—जब इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के मुकदमे के दौरान किसी समय अपराध किसी उस व्यक्ति द्वारा किया गया पाया गया है जो किसी मादक पदार्थ का विनिर्माता, वितरक या व्यापारी नहीं है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर न्यायालय संतुष्ट है कि विनिर्माता, वितरक या व्यापारी भी उस अपराध से सम्बन्धित है तब न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 319 की उपधारा (3) में कुछ भी रहते हुए इस अध्याय की किराी भी धारा के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है ।
55. बढ़े हुए दण्ड लगाने के लिये मजिस्ट्रेट की शक्ति.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में कुछ भी रहते हुए आजीवन कारावास या छः वर्ष से अधिक अवधि के लिये

कारावास का दण्ड, उक्त धारा के अन्तर्गत अपनी शक्ति से अधिक दण्ड के सिवाय इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी दण्ड को पारित करने के लिये किसी महानगर मजिस्ट्रेट के लिये यह विधिसम्मत होगा।

56. कम्पनियों द्वारा अपराध किया जाना.— (1) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो कम्पनी तथा इसका प्रत्येक प्रगारी तथा अपराध के घटित होने के समय कम्पनी के कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति अपराध का दोषी मान लिया जाएगा तथा अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिये भागी होगा और तदनुसार दण्डित किया जाएगा:

शर्त यह है कि जहां किसी कम्पनी की अनेक स्थापनाएं या शाखाएं हैं या किसी स्थापना या शाखा में अनेक यूनिट/इकाइयां हैं, वहां सम्बन्ध मुख्य कार्यपालक तथा कम्पनी द्वारा नामांकित ऐसी स्थापना शाखा या इकाई का प्रभारी व्यक्ति, जो कम्पनी के कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी है, वह ऐसी स्थापना शाखा या युनिट के सम्बन्ध में उल्लंघन के प्रति उत्तरदायी होगा :

आगे यह शर्त और है कि इस धारा का कुछ भी किसी दण्ड के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करेगा यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था और उसने इस प्रकार के अपराध को होने से रोकने के लिये यथोचित पूरा-पूरा ध्यान दिया।

(2) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कम्पनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या शह से या अपराध इनकी लापरवाही के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के लिये भागी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किए जाएंगे।

व्याख्या. इस धारा के प्रयोजनार्थ "कम्पनी" का अर्थ निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों की कोई एसोसिएशन और निदेशक फर्म के सम्बन्ध में अर्थ किसी फर्म के भागीदार से है।

57. कुछेक अपराधों का समाधेय.— (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत लघु अपराध समाधेय होंगे।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई लघु अपराध करने के लिये तर्कसंगत आधार पर संदेहास्पद है वह अपनी दोष सिद्धि से पूर्व अपराध के समाधेय के लिये सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, सहायक आयुक्त प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान शुल्क के रूप में धनराशि जमा कराने पर या यथोचित शर्तों जिसे वह ठीक समझते हो, के अधीन अपराध के लिये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने पर अपराध के समाधान के लिये अपने स्वविवेक से आदेश कर सकते हैं।

(4) व्यक्ति के द्वारा ऐसी धन राशि के भुगतान के पश्चात् यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और किसी आपराधिक न्यायालय में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न तो कार्यवाई प्रारम्भ की जाएगी और न तो जारी की जाएगी।

शर्त यह है कि इस धारा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित रागाधान शुल्क या मुआवजे की धन राशि अन्तर्निहित शुल्क से पांच गुने से कम और दस गुने से ज्यादा नहीं हो या मादक पेय औजार, वाहन और अन्य वस्तुओं की कीमत में से जो भी अधिक हो।

आगे शर्त यह भी है कि जहाँ मादक पेय, औजार, वाहन या अन्य वस्तुएं जब्त की जाती हैं तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा लेकिन ऐसे तरीके से जो निर्धारित होगा से निपटाया जाएगा।

58. कुछेक समान समपहरण योग्य/जब्ती योग्य. जब कभी कोई अपराध किया जाता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है जब निम्नलिखित सामान समपहरण योग्य/जब्ती योग्य होगा, अर्थात् :-

(क) कोई मादक पदार्थ, सामग्री, भभका, बर्तन, औजार, उपकरण, जिनके सम्बन्ध में या जिन के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है;

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत समपहरण योग्य/जब्ती योग्य किसी मादक पदार्थ के साथ या अतिरिक्त अवैध रूप से आयातित, ढुलाई किया गया विनिर्मित, बेचा या खरीद किया गया कोई मादक पदार्थ;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत समपहरण योग्य/जब्ती योग्य कोई वस्तु जिसमें कोई पात्र, पैकेज या कवरिंग पाया गया है ऐसे पात्र, पैकेज या कवरिंग के, यदि कुछ अन्य अंश हों;

(घ) उसे ले जाने, लाने के लिये प्रयुक्त कोई पशु, वाहन, यान या अन्य सवारी।

59. कुछेक मामलों में उपायुक्त द्वारा समपहरण/जब्ती.—(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून में कुछ भी रहते हुए जहाँ पर धारा 58 के अन्तर्गत समपहरण योग्य कोई वस्तु या इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निरुद्ध हैं, ऐसी सम्पत्ति की जब्ती करने या निरुद्ध करने वाला अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना उपायुक्त के समक्ष उक्त जब्त सम्पत्ति प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत उक्त जब्त सम्पत्ति के प्रस्तुत करने पर उपायुक्त, यदि संतुष्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया है चाहे ऐसे किसी अपराध करने के लिये कोई अभियोग चलाया गया है या नहीं तो ऐसी सम्पत्ति के समपहरण/जब्त करने का आदेश कर सकता है अन्यथा वह इसे वैध स्वामी को लौटाने के लिये आदेश कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत समपहरण/जब्ती का कोई आदेश करते समय उपायुक्त यह भी आदेश कर सकते हैं कि जिन सम्पत्तियों के समपहरण सम्बन्धी आदेश हैं जो उनके अभिमत से परिरक्षण नहीं की जा सकती हैं या मानवीय खपत के लिये उपयोगी नहीं हैं तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है। जब कभी इन उपबन्धों के अनुरूप जब्त कोई सामग्री नष्ट की जाती है, तो यह उस आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट की जाएगी जो निरीक्षक के रैंक से कम न हो।

(4) जहाँ उपायुक्त का उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई जब्ती/समपहरण आदेश पारित करने के बाद अभिमत है कि जगह में ऐसा करना रागयोचित है, तो वह जब्त सम्पत्ति या

इसके भाग को सार्वजनिक नीलामी से बेचने के लिये या अन्यथा इसके निपटान के लिये आदेश कर सकते हैं।

(5) जब किसी सम्पत्ति के समपहरण का कोई आदेश धारा 59 के अन्तर्गत पारित किया गया है और ऐसा आदेश ऐसी सम्पत्ति के सारे या कुछ भाग के लिये अन्तिम बन गया है, ऐसी सम्पत्ति या इसका भाग, जैसी भी स्थिति हो, सरकार में निहित होगा, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होगा।

(6) उपायुक्त ऐसे समपहरण के एक माह के भीतर आवकारी आयुक्त को समपहरण के सभी ब्यौरों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि कोई मादक पदार्थ, महुआ के फूल या शीरा तथा कोई अन्य सम्पत्ति यदि उस प्रकरण में ज़ब्त की जाती है जो अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत प्रशमन/समझौता किया गया है या जिसके सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया है और अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका, तो निर्धारित पद्धति से निपटाया जाएगा।

60. समपहरण तथा नाशन का कोई आदेश अन्य दण्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा - (1) धारा 58 के अन्तर्गत समपहरण आदेश उस अन्य दण्ड को आरोपित करने से नहीं रोकेंगा जिसके लिये कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी है :

(2) तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून में कुछ भी होते हुए ज़ब्त वस्तुओं का उस पद्धति से निपटान, जिसके सम्बन्ध में जांच अन्य न्यायालय के समक्ष केस सम्पत्ति का न प्रस्तुतीकरण हुआ इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध की दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करेगा :

शर्त यह है कि मादक पदार्थों के नमूने तथा ज़ब्त सम्पत्ति के फोटोग्राफ प्रमाण सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

61. समपहरण के क्षेत्राधिकार पर रोक - किसी अपराध के लिए प्रयुक्त कोई मादक पदार्थों, सामग्री, द्रव्य, भभका, बर्तन, औज़ार, उपकरण या कोई अन्य पात्र, पैकेज, पशु, छकड़ा या अन्य सवारी जब कभी इस अधिनियम के अन्तर्गत ज़ब्त या निरूद्ध किये जाते हैं तो किसी भी न्यायालय को तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के प्रतिकूल कुछ भी रहते हुए ऐसी सम्पत्ति सम्बन्धी कोई आदेश करने का अधिकार नहीं होगा।

62. कुछेक परिस्थितियों के अन्तर्गत ब्यानों की प्रासंगिकता - (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जांच या कार्रवाई के दौरान किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया या हस्ताक्षरित कोई ब्यान इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अगियोग में किसी अपराध को सिद्ध करने के प्रयोजन के लिये सार्थक/प्रासंगिक होगा उस तथ्य की सच्चाई जिसमें-

(क) जिस व्यक्ति ने ब्यान दिया है, जब मर जाता है या मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या विरोधी पक्ष ने उसे छिपा दिया है या जिसकी उपस्थिति कुछ विलम्ब धनराशि या खर्चों के बिना नहीं हो सकती है, प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय युक्ति संगत नहीं मानता है, अथवा

(ख) जिस व्यक्ति ने जब बयान दिया, उस व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष प्रकरण में साक्षी के रूप में जांच की जाती है और न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में बयान को प्रमाण स्वीकार किया जाए।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जहां तक लागू हो सकेंगे, जिस प्रकार ये किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

अध्याय— VI

अपराधों की पहचान, छानबीन और मुकद्दमे

63. जानकारी प्राप्त करने के लिये शक्ति.— आबकारी आयुक्त या कोई प्राधिकृत आबकारी अधिकारी किसी मादक पदार्थ के कारोबार में अवैध रूप से लिप्त किसी उस व्यक्ति या किसी उस स्थापना को आदेश देकर आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी जानकारी उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं जो युक्ति संगत रूप से इससे लिप्त माने गये हैं।

64. भूमिधारक, अधिकारी और अन्य को जानकारी देना.— (1) जब कभी इस अधिनियम का उल्लंघन करके कोई शराब विनिर्मित, आयातित, निर्यातित, ढुलाई, संग्रहीत, रखी या बेची जाती है, तब भूमि या भवन का स्वामी या अधिभोगी, उसका एजेंट और पुलिस भूराजस्व विभाग, स्थानीय निकायों और खण्ड विकास कार्यालय का प्रत्येक अधिकारी, तर्क संगत कारण के अभाव में, उसके जानकारी में तथ्य आते ही शीघ्रातिशीघ्र आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को तथ्य की सूचना देने के प्रति बाध्य होगा।

(2) उपधारा (1) में सन्दर्भित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के पालन कराने के प्रति आबकारी अधिकारियों का सहयोग करने के प्रति बाध्य होंगे।

(3) प्रत्येक आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के बारे में सभी शाखाओं के उपायुक्त को तत्काल जानकारी देने के प्रति बाध्य होंगे, जो उपधारा (1) या अन्यथा के अन्तर्गत उसकी जानकारी में आ सकते हैं।

65. गिरफ्तारी, तलाशी तथा ज़ब्ती की शक्ति.— (1) कोई भी आबकारी अधिकारी किसी स्थान की तलाशी, किसी वस्तु की ज़ब्ती या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या नज़रबन्दी कर सकते हैं यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध में उनके लिप्त होने सम्बन्धी कोई युक्ति संगत संदेह है :

शर्त यह है कि कोई भी तलाशी केवल इसी तथ्य के आधार पर अनियमित नहीं मान ली जाएगी कि जिस इलाके में तलाशी की गई है उस इलाके में तलाशी का गवाह नहीं रहता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय तलाशी, ज़ब्ती, गिरफ्तारी, नज़रबन्दी सम्मनों और छानबीन सम्बन्धी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध

इस अधिनियम के अन्तर्गत इन पहलुओं सम्बन्धी की गई सारी कार्रवाइयों के लिये, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

66. जब वस्तुओं को स्वीकार करने के लिये पुलिस का दायित्व.— थाने का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत जब सारी वस्तुओं जो उसे सौंपी जा सकती हैं, मजिस्ट्रेट या उपायुक्त के आदेश के लम्बित रहने से, को कब्जे में लेकर निरापद अभिरक्षा में रखगा और जो आबकारी अधिकारी ऐसी वस्तुएं लायेगा उसे ऐसी वस्तुओं पर अपनी मोहर लगाने की तथा उसके या उनसे नगूने लेने की अनुमति होगी ।
67. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय होंगे.— इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी बड़े अपराध संज्ञेय होंगे और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध लागू होंगे ।
68. कुछेक अपराध गैर जमानती होंगे.— इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय सभी अपराध जिनमें दो वर्ष या अधिक कारावास का दण्ड है गैर जमानती होंगे और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के गैर जमानती अपराधों के उपबन्ध उन अपराधों पर लागू होंगे ।
69. प्रकरणों सम्बन्धी संक्षेप में मुकदमों चलाने के लिये न्यायालय की शक्ति.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी रहते हुए, इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड रहित या तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास सहित दण्डनीय सभी अपराध किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेप में मुकदमा चलेगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे मुकदमों पर लागू होंगे :

शर्त यह है कि इस धारा के अन्तर्गत किसी संक्षेप मुकदमों में किसी दोषसिद्धि की स्थिति में, एक वर्ष तक की अवधि के लिये कारावास का दण्ड पारित करना यह महानगर मजिस्ट्रेट के लिए विधि सम्मत होगा :

आगे यह शर्त और है कि इस धारा के अन्तर्गत किसी संक्षिप्त मुकदमों के प्रारम्भ में या उसके दौरान महानगर मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि प्रकरण की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास का कोई दण्ड पारित किया जाए या प्रकरण के लिये किसी अन्य कारण से संक्षिप्त मुकदमा चलाना अवाञ्छनीय है, तो महानगर मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद इस आशय का एक आदेश अभिलेखबद्ध करके इसके पश्चात् किसी साक्षी को जिसे जांचा जा चुका हो बुलाएगा और उक्त संहिता द्वारा उपबन्धित तरीके में सुनवाई या पुनः सुनवाई के लिये कार्रवाई की जाएगी ।

70. सदाचरण के लिये और अपराध करने से परे रहने के लिए प्रतिभूति.— (1) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के सिद्धदोषी है और उसे सिद्धदोषी करने वाले न्यायालय का अभिमत है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध करने या करने का प्रयत्न करने का या करने के लिये उकसाने का आदी है और कोई ऐसा अपराध करने से परे रहने के लिये एक बन्धपत्र निष्पादित करने के लिये ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करना आवश्यक है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के लिये दण्ड पारित करते समय ऐसी अवधि के दौरान, जो तीन वर्ष से अधिक न हो जितनी वह निर्धारित करने के लिये आवश्यक मानती है, ऐसे अपराध करने से परे रहने के लिये जमानतियों सहित या रहित अपने आय के साधनों के अनुपात में एक बन्धपत्र निष्पादित करने के लिये उसे निर्देश दे सकता है ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों के अनुसार बन्धपत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा और ऐसे बन्धपत्र के साथ जुड़े सभी विषयों पर जहाँ तक हो सके, ये लागू होंगे मानो यह शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिये एक बन्धपत्र उक्त संहिता की धारा 106 के अन्तर्गत निष्पादित किया जाना था ।

(3) यदि अपील या अन्यथा पर दोषसिद्धि रद्द की जाती है , तो इस प्रकार निष्पादित बन्धपत्र अमान्य हो जाएगा ।

(4) इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह संशोधन सम्बन्धी अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो ।

अध्याय-VII

संशोधन/दोहराई पुनर्विचार, तथा अपील

71. पुनर्विचार.— इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई आदेश करने वाला कोई आबकारी अधिकारी साठ दिन के भीतर अपने प्रस्ताव पर या किसी आवेदन पत्र पर अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकते हैं यदि आदेश में कोई चूक या लोप प्रतीत होता है :

शर्त यह है कि उस आदेश से पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई का एक यथोचित अवसर दिए बिना आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा ।

72. अपील.— (1) किसी उपायुक्त के अधीनस्थ किसी आबकारी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी निर्णय या पारित आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उपायुक्त से अपील कर सकते हैं ।

(2) उपायुक्त के किसी निर्णय से या द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति आबकारी आयुक्त से अपील कर सकते हैं ।

(3) आबकारी आयुक्त के किसी निर्णय से या इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति वित्त आयुक्त से अपील कर सकते हैं ।

(4) ऐसी अपील, ऐसे निर्णय अथवा आदेश के प्रारम्भ होने की तिथि से तीस दिन के भीतर इसकी स्वप्रमाणित प्रति सहित प्रस्तुत की जाएगी ।

शर्त यह है कि तीस दिन की आगामी अवधि अनुमत्त हो सकेगी यदि अपीलकर्ता सिद्ध करता है कि पूर्वोक्त तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने में उसे रोकने के पर्याप्त कारण हैं ।

(5) किसी अपील की सुनवाई में कोई अपीलकर्ता अपील के आधारों में न विनिर्दिष्ट किसी आधार की जांच कराने की या अतिरिक्त प्रमाण पत्र देने की अनुमति मिल सकेगी यदि आवश्यक हो, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी चूक जानबूझकर या तर्कहीन नहीं थी ।

(6) अपीलकर्ता प्राधिकारी यथावश्यक ऐसी आगामी जांच कराने के बाद वह यथोचित एवं न्यायपूर्ण आदेश पारित कर सकते हैं जिसमें निर्णय या आदेश, जैसी भी स्थिति हो, से पुष्टि, आशोधन या निरसन का उल्लेख होगा ।

(7) जिस तिथि को अपील प्रस्तुत की गई थी उस तिथि से एक वर्ष के भीतर अपील की सुनवाई होगी तथा निर्णय होगा :

शर्त यह है कि यदि किसी अपील का एक वर्ष के भीतर फैसला नहीं होता अपील में गांजी गई राहत प्रदान की गई मान ली जाएगी ।

73. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश.— (1) अपील के निपटान सम्बन्धी अपीलीय प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और निर्धारण के बिन्दू इन पर निर्णय तथा निर्णय के आधार का उल्लेख होगा ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को उसके (स्वयं) द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता और उस आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा जिसके आदेश से अपील की विषयवस्तु बनी ।

74. अपील दायर करने से पूर्व आबकारी राजस्व जमा कराना.— (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत उगाहे किसी शुल्क, फीस या दण्ड से सम्बन्धित इस अध्याय के अन्तर्गत जिस निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, ऐसे निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने का इच्छुक व्यक्ति अपील दायर करने से पूर्व आबकारी राजस्व के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां किसी विशेष प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी का अभिमत है कि अपीलकर्ता के पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्टया है और शुल्क, फीस या दण्ड जमा कराने से ऐसे व्यक्ति को अवांछित/अनुचित कठिनाई होगी, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता के आवेदन पत्र पर ऐसे राशि जमा कराने सम्बन्धी छूट दे सकते हैं और ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन वसूली स्थगित रख सकते हैं और यथोचित ऐसी शर्तें लगा सकते हैं ताकि राजस्व के हित की रक्षा हो सके :

शर्त यह है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वह संतुष्ट न हो कि आबकारी राजस्व की ऐसी राशि जो अपीलकर्ता स्वीकार कर सकता है यह उसने भुगतान करनी है, भुगतान कर चुका है ।

(3) जहां उपधारा (2) के अन्तर्गत उगाहे आबकारी राजस्व को जमा कराने सम्बन्धी छूट प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसा संभव हो, इसके दायर करने की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे आवेदन पत्र पर फैसला करेंगे ।

(4) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध वसूली सम्बन्धी कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं हो जाता है ।

75. आबकारी आयुक्त द्वारा आदेशों में संशोधन.— (1) आबकारी आयुक्त अपने प्रस्ताव से किसी उस कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है जिसमें उसके अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई निर्णय लिया है या आदेश पारित किया है जिसमें कोई लाइसेंस प्रदान करने, जारी करने या प्रदान करने के लिए इन्कार करने सम्बन्धी मामले शामिल है, ऐसे किसी निर्णय या आदेश की वैधता या उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपने आप को संतुष्ट करने के लिये ऐसी जांच कर सकते हैं या ऐसी जांच करवाने सम्बन्धी और इस अध्याय के उपबन्ध के अधीन इस पर यथोचित आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वह ठीक समझते हैं ।

(2) किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश इस धारा के अन्तर्गत तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर न दिया गया हो।

(3) आबकारी आयुक्त उपधारा (1) के अन्तर्गत उराके द्वारा पारित आदेश को ऐसे व्यक्ति तथा उस आबकारी अधिकारी को सूचित करेंगे जिसके आदेश से संशोधन की विषयवस्तु बनी।

(4) यदि ऐसे मामले के विरुद्ध कोई अपील उपायुक्त के समक्ष लम्बित है तो ऐसे मामले के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

(5) इस धारा के अन्तर्गत कोई भी आदेश उरा तिथि से छः माह की अवधि बीतने के बाद पारित नहीं किया जाएगा जिस तिथि को संशोधित किए जाने के लिये अपेक्षित आदेश पारित किया गया है।

अध्याय—VIII

विविध उपबन्ध

76. किसे शराब माना जायेगा इसे घोषित करने सम्बन्धी सरकार की शक्ति.— सरकार अधिसूचना से इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिये घोषणा कर सकती है कि किसे शराब माना जायेगा।
77. शराब सेवन को विनियमित करने के लिये तथा मद्य निषेध लागू करने के लिये सरकार की शक्ति.— सरकार समूची दिल्ली या इसके किसी भाग में शराब सेवन को विनियमित करने के लिये और मद्य निषेध लागू करने के लिये ऐसा आदेश जारी कर सकती है और ऐसे यथोचित उपाय कर सकती है।
78. दुरुपयोग रोकने के लिये शीरा, गुड़सारी, महुआ के फूल इत्यादि विनियमित करने के लिये सरकार की शक्ति.— सरकार शीरे, गुड़सारी (ब्लैक जैगरी), महुआ के फूल आदि के लाने ले जाने, स्वामित्व/स्वत्व एवं बिक्री विनियमित करने के लिये, इनसे अवैध रूप से शराब निकालने के दुरुपयोग को रोकने के लिये यथावश्यक एवं समयोचित शर्तों का उल्लेख करते हुए नियम बना सकती है।
79. विज्ञापन विनियमित करने की शक्ति.— कोई भी विज्ञापन शराब की खपत बढ़ाने के लिये प्रत्यक्षतः या रोरेगट नहीं दिया जाएगा। तथापि आबकारी आयुक्त अपने विवेक से ऐसे विज्ञापन को अनुमत्त कर सकते हैं जो शिक्षाप्रद हो तथा समझदारी से शराब पीने को बढ़ावा दे।
80. कुछेक वादों पर रोक और परिसीमाएं.— क्षतिपूर्ति के लिये कोई भी वाद किसी दीवानी अदालत में इस अधिनियम तथा आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अनुसरण में सदभावना से किए गए किसी कृत्य के लिये सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
81. नियम बनाने के लिये सरकार की शक्ति.— (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन की पूर्ति के लिये इस नियम के उपबन्धों के अनुकूल अधिसूचना से नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता के प्रतिकूल प्रभाव रहित निम्नलिखित सभी या कुछ विषयों के लिये ऐसे नियम बना सकती हूँ अर्थात् :-

(क) आबकारी अधिकारी की शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करना एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(ख) अपील प्रस्तुत करने के लिये समय तथा पद्धति और अभियोजन की पद्धति/प्रक्रिया तथा पुनर्विचार अपील और संशोधन सम्बन्धी कार्य ;

(ग) किसी मादक पदार्थ, महुआ के फूल तथा ब्लैक जैगारी तथा शीरे के आयात , निर्यात , दुलाई, विनिर्माण , संग्रहण , स्वागित्त्व पूर्ति एवं भण्डारण ;

(घ) तौंडी नीरा या तरी की बिक्री और स्वत्व को विनियमित करना और तौंडी या तरी निकालने के लिये पेड़ों को छेदना (टैपिंग) ;

(ङ) स्ट्रिप के विकृतिकरण के लिये प्रक्रिया/पद्धति घोषित करना ;

(च) मादक पदार्थों के थोक एवं खुदरा मूल्य विनियमित करना ;

(छ) समय, स्थान, दर तथा शुल्क या फीस का भुगतान विनियमित करना तथा इसके देय भुगतान के लिये प्रतिभूति लेना ;

(ज) उस प्राधिकारी को निर्धारित करना जिसके द्वारा जिस रूप में तथा पद्धति से और शर्तों, जिनके अन्तर्गत कोई लाइसेंस परमिट या पास प्रभाव किया गया है ;

(झ) प्रयोग के लिये अनुपयुक्त मानी गई किसी शराब को नष्ट करने या अन्य निपटान की व्यवस्था करना ;

(ञ) जूब वस्तुओं का निपटान विनियमित करना ;

(ट) आबकारी अधिकारियों और भेदियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था करना ;

(ठ) साक्षियों के खर्चे देने को विनियमित करना ;

(ड) साक्षियों को सम्मान करने के लिये आबकारी अधिकारी की शक्तियां विनियमित करना ;

(ढ) इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके कोई मादक पदार्थ का आसवन , विनिर्माण , भण्डारण , दुलाई , आयात , निर्यात , विक्रय या वितरण करने वाले अवैध शराब विनिर्माताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाना ;

(ण) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य विषय , जो निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा या हो सकेगा ।

- (3) इस संबंध में बनाए गए किसी उपबन्ध के पुर्वाग्रह के बिना, इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम को किसी एसी पूर्व तिथि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पहले की तिथि न हो से लागू किया जा सकता है :

शर्त यह है कि कोई भी नियम पूर्व प्रभाव से प्रभावी नहीं होगा यदि किसी व्यक्ति के हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो ।

- (4) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र दिल्ली विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्दर चाहे वह एक, दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अवधि के अन्तर्गत यदि सदन किसी नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त नियम या विनियम के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

82. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान बना सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिये उपयुक्त हो तथा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो :

शर्त यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष बीतने के बाद इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

- (2) इस धारा के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आदेश होने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा

83. निरसन एवं बचाव.— जिस तिथि से यह अधिनियम प्रभावी होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) तत्काल निरसित मान लिया जायेगा, शर्त यह है कि निरसन कोई प्रभाव नहीं डालेगा —

- (क) निरसन अधीन अधिनियम का पूर्व कियान्वयन;
- (ख) निरसन अधीन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए किसी अपराध के संबंध में प्राप्त कोई दण्ड, ज़ब्त या दण्ड;
- (ग) किसी ऐसे दण्ड, ज़ब्त या दण्ड के सम्बन्ध में कोई छानबीन/जांच या निवारण;
- (घ) कोई ऐसी जांच, कानूनी कार्रवाई या सुधार जारी रहेगा या प्रवृत्त रहेगा और ऐसा कोई दण्ड, ज़ब्त, सज़ा लगाई जा सकेगा मानों यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था :

शर्त यह है कि पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन निरसनाधीन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ किया गया या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया या की गई कार्यवाही मान ली जाएगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ किये गये या की गई कार्रवाई का अधिकमण होने तक तदनुसार प्रवृत्त रहेगी ।

अनुसूची
(धारा 27 देखिए)

क्रम संख्या	मादक पदार्थों का विवरण	दर
1	2	3
1.	भारतीय एवं विदेशी शराब	थोक मूल्य का 400 प्रतिशत
2.	वाइन (अंगूरी शराब) तथा लिकियोर (भारतीय एवं विदेशी)	थोक मूल्य का 80 प्रतिशत
3.	बीयर एवं साइडर (भारतीय तथा विदेशी)	थोक मूल्य का 200 प्रतिशत
4.	देसी शराब	थोक मूल्य का 250 प्रतिशत
5.	सिग्रेट युक्त सम्पाक, अरक सहित, लेकिन औषधीय एवं शौचालय सम्पाक (टॉसलेट प्रेपरेशनज़) के अतिरिक्त जो औषधीय एवं शौचालय सम्पाक (उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का 16) वर्णित हैं	थोक मूल्य का 20 प्रतिशत
6.	भाग	5 रुपये प्रति कि.ग्राम"

श.विता राव

(सविता राव)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)